असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

19 जुलाई, 2019

षोडश विधान सभा — 19 जुलाई, 2019 ई0

---------- — शुक्रवार, तिथि ----------

त्रयोदश सत्र — 28 आषाढ़, 1941(शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । माननीय सदस्य ...

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

समय पर उठाइएगा ।

(व्यवधान जारी)

आप अगर अपनी जगह पर जाकर बोलेंगे तो कुछ सुना जाएगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य ।

(व्यवधान जारी)

<u>सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना</u>

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-4(ii) परन्तुक के अधीन षोडश बिहार विधान सभा के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं सप्तम् सत्रों के कुल-1303 अनागत अल्पसूचित, तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नोत्तरों की मुद्रित प्रतियाँ सदन पटल पर रखता हूँ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष महोदय, आसन के तरफ से आग्रह किया गया है माननीय सदस्यों को महोदय । कोई बात अगर वेल में आकर कह रहे हैं तो सरकार कैसे सुनेगी ? सरकार को उत्तर देने के लिए, सरकार को जवाब देने के लिए आपको तो अपनी जगह पर जाकर कोई बात रखना चाहिए और अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि जब समय आएगा तो नियमावली के हिसाब से उन प्रश्नों को उठाइएगा, तब उसका जवाब भी मिलेगा । लेकिन आप तो नियमावली से चलने वाले लोग नहीं हैं । आपको तो नियमावली और कानून में विश्वास नहीं है । आप तो सिर्फ सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं और एक-से-एक महत्वपूर्ण सवालों का जवाब

विपक्ष लेना नहीं चाहता है महोदय । इसलिए पुनः मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी जगह पर माननीय सदस्य जाएं और जो सवाल आए हैं उसका जवाब लें।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न : 02/कृष्ण/19.07.2019

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । प्रभारी मंत्री,वित्त विभाग ।

वित्तीय कार्य

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-205 के अनुसरण में मैं बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक,2019 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा वित्तीय वर्ष 2019-20 में खर्च होने की जो संभावना है, उसके संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री,वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-205 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1998-99, 1999-2000, 2003-04, 2010-2011 एवं 2015-16 के अधिकाई-व्यय का विवरण उपस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे । आज आप माननीय सदस्यों के 116 गैर सरकारी संकल्प का निष्पादन होना है । मैं इसलिए सूचना दे दे रहा हूं कि समय का सभी लोग ख्याल रखेंगे, तब आपके मन में जो भी है, वह मकसद पूरा हो पायेगा ।

माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद ।

गैर सरकारी संकल्प

क्रम संख्या-1 श्री तारकिशोर प्रसाद,स0वि0स0

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लघु स्वरोजगार आधारित व्यवसायियों के दुकान में आग लगने, सर्प दंश तथा सड़क दुर्घटना एवं ऑधी तूफान से एक व्यक्ति की भी मृत्यु होने पर 4 लाख रूपया मुआवजा राशि देने की कार्रवाई करें । "

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : माननीय मंत्री काउंसिल में गये हुये हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । वह आयेंगे तब लिया जायेगा ।

क्रम संख्या–2 श्रीमती डा0 रंजु गीता,स0वि0स0

श्रीमती डा0 रंजु गीता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प्रखंड बाजपट्टी के पंचायत मधुबन बसहा पूर्व, रिंग बांध के निकट (अनुसूचित जाति कॉलनी) 30–32 वर्ष पूर्व लघु जल संसाधन विभाग का Lift Irigation System अधवारा नदी में लगा हुआ है, जो मृतप्राय है, का जीर्णोद्धार करावें ।"

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना का स्थल निरीक्षण कराकर तकनीकी रूप से उपयुक्त पाये जाने पर विहित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जायेगी ।

अतः मैं माननीय सदस्या से अनुरोध करता हूं कि वह अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती डा0 रंजु गीता : महोदय, मुझे कुल पल चाहिये । माननीय मंत्री जी द्वारा जो बताया गया है कि इसका स्थल निरीक्षण कराकर कार्रवाई की जायेगी । महोदय, जब मैंने गैर सरकारी संकल्प दिया तो उसी समय ही इसका स्थल निरीक्षण होना चाहिए था, इतना बड़ा त्राहिमाम है, पूरे बिहार में किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है, या तो सुखाड़ है या बाढ़ की स्थिति है । यहां पर लिफ्ट इरीगेशन बंद होने से 500–600 एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित रह जाती है ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्रीमती डा0 रंजु गीता : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सभा की सहमति से माननीय सदस्या, श्रीमती डा0 रंजु गीता जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या–3 श्री हेम नारायण साह,स0वि0स0

श्री हेम नारायण साह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीवान जिलान्तर्गत महाराजगंज अनुमंडल न्यायालय का उद्घाटन 1991 में हो चुका है, कर्मचारी भी प्रतिनियुक्त है, कार्य प्रारंभ करावें । "

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीवान जिलान्तर्गत महाराजगंज अनुमंडल में अभी व्यवहार न्यायालय स्थापित नहीं है । महोदय, राज्य में किसी भी नये न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय

के निर्देश, परामर्श से की जाती है । वर्ष 2015 में महाराजगंज अनुमंडल में न्यायालय स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के आलोक में एक अस्थायी भवन चिन्हित किया गया था परन्तु उस समय न्यायालय का उद्घाटन नहीं हो सका । उक्त अस्थायी भवन में रखे गये सामग्रियों की सुरक्षा हेतु तत्काल 4 गृहरक्षकों को प्रतिनियुक्त किया गया है । महाराजगंज में न्यायालय स्थापना हेतु 6.65 एकड़ भूमि भी हस्तांरित है । परन्तु उक्त हस्तांरित भूमि को जिला स्तरीय स्थल चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त प्रतिवेदित कर दिया गया है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश मांगा गया है । निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार अग्रत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें

श्री हेम नारायण साह : महोदय, 1991 में उसका उद्घाटन हुआ था । पूरे बिहार में महाराजगंज और कहीं एक जगह और है कि वह जिला नहीं बन सका है । हम मांग करते हैं वहां जिला भी बने और व्यवहार न्यायालय भी चालू किया जाय । इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सभा की सहमति से माननीय सदस्य श्री हेम नारायण साह जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 4 श्री फराज फातमी,स0वि0स0

श्री फराज फातमी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी प्रखंड में स्नातक महाविद्यालय की स्थापना करें । "

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, माननीय मंत्री कॉन्सिल में है ।

अध्यक्ष : ठीक है । वह आयेंगे तब इसको लिया जायेगा ।

क्रम संख्या-5 श्री अरूण कुमार सिन्हा,स0वि0स0

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वह कंकड़बाग, अशोक नगर जीरा प्वाइंट सम्प हाउस से संबंधित मुहल्ले के रोड को जोड़कर ड्रेनेज सिस्टम दुरूस्त करने का कार्य शीघ्र शुरू करावें । "

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि कंकडबाग अशोक नगर जीरो प्वाइंट सम्प हाउस का कार्य बिहार राज्य जल पर्षद् विघटित बुडको के द्वारा संपन्न कराया जा चुका है । डी.आई.के.-9 पाईप लक्षिण आर0सी0सी0 बॉक्स ड्रेन पम्प गृह, पम्प मोटर, ट्रांसफरमर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण हो चुका है । वर्तमान में सम्प हाउस सुचारू रूप से चल रहा है । इससे संबंधित मुहल्ले तथा अशोक नगर, इन्दिरा नगर, रामनगर, भोजपुर कॉलनी से संबंधित ड्रेनेज सिस्टम हेतु योजना निविदा की प्रकिया में है । जल्द ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा, धन्यवाद महोदय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सभा की सहमति से माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-6 श्री अचमित ऋषिदेव,स0वि0स0

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य प्रखंड रानीगंज के मुख्यालय रानीगंज में एक सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना करावें । "

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : माननी मंत्री कॉसिल में हैं ।

अध्यक्ष : ठीक हैं । आयेंगे तब इसे लिया जायेगा ।

टर्न-3/अंजनी/दि019.07.19

क्रम संख्या-7 श्री नारायण प्रसाद

श्री नारायण प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है वह पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नौतन प्रखंड मुख्यालय में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना करे ।"

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नौतन प्रखंड के नौतन थाना में एक मिक्सड टेक्नॉलोजी अग्निशामक वाहन प्रतिनियुक्त है, जिससे अगलगी की घटना होने पर अग्निशामक का कार्य किया जाता है । नौतन प्रखंड में अग्निशामक का कार्य अग्निशालय, बेतिया के साथ-साथ बैरिया थाना में प्रतिनियुक्त मिक्सड टेक्नॉलोजी अग्निशामक वाहन से

भी किया जाता है । अग्नि शमालय, बेतिया ने नौबतपुर प्रखंड की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है एवं थाने से लगभग 20 मिनट समय जाने में लगता है । नौतन प्रखंड के बेरिया थाना की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है एवं जाने में लगभग आठ मिनट लगता है । वर्त्तमान में प्रखंड स्तर पर अग्निशामक केन्द्र स्थापित करने की नीति नहीं है, अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री नारायण प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ। ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री नारायण प्रसाद जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रम सं0-8, श्री भोला यादव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नेमतुल्लाह जी को प्राधिकृत किया गया है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत गैघट्टी एवं कमलपुर के बीच कमला नदी पर पुल का शीघ्र निर्माण करावे ।"

महोदय, आज भी चेचरी का पुल है, लोग, बच्चे आज भी उसी पुल से आते-जाते हैं । डी0पी0आर0 बन गया है लेकिन अभी कार्य योजना में शामिल नहीं है।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है, इसके एक तरफ कमलपुर बसावट की सम्पर्कता हेतु एम0एन0जी0एस0वाई0 अंतर्गत चयनित पथ का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है, जो निविदा की प्रक्रिया में है, निविदा की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य कराया जा सकेगा । पुल स्थल के दूसरी तरफ गैघट्टी बसवाट को जी0टी0एस0एन0वाई0 पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री भोला यादव जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रम सं-9 श्री आलोक कुमार मेहता

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत उजियारपुर प्रखंड के एन0एच0-28 के शंकर चौक से चपता मखनिया टोला होकर बाबू पोखर तक जानेवाली सड़क का जीर्णोद्धार कराये ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पथ का डी0पी0आर0 बिहार पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के तहत मरम्मती हेतु तैयार किया जा रहा है । स्वीकृतिपरांत मरम्मती कार्य कराया जा सकेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क बहुत लम्बे समय से जर्जर स्थिति में है और काफी हैवी ट्रैफिक होने के साथ-साथ सड़क की स्थिति और खराब होती चली जा रही है बारिश में, इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र इसे प्राथमिकता के आधार पर करा दें, इसी के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, माननीय सदस्य वापस ले रहे हैं लेकिन यह सड़क है जरूरी ।

सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रम सं0-10, श्री कौशल यादव, स0वि0स0

श्री कौशल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवादा जिलान्तर्गत गोविन्दपुर प्रखंड के सरकण्डा पंचायत के सरकण्डा गांव के निकट सकरी नदी में पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ सरकण्डा पंचायत अधीन सरकण्डा गांव है, जिसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित पथ रोहभठ्ठा पथ से सरकण्डा पथ से सम्पर्कता प्रदत्त है । उल्लेखित पुल स्थल के दूसरी तरफ गोविन्दपुर प्रखंड है, जो पथ निर्माण विभाग के पथ पर अवस्थित है । सरकण्डा गांव एवं गोविन्दपुर गांव के बीच में सकरी नदी पड़ती है, इस आरेखन में कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोरनेट वर्क में शामिल नहीं किया जा रहा है । अभिस्तावित पुल के निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है।

वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री कौशल यादव : महोदय, यह जो पंचायत है, बिल्कुल जंगल के पास है और दस हजार की आबादी और 15 गांव है और वहां पर गर्मी में भी आदमी गोविंदपुर प्रखंड नहीं आ सकता । रोह प्रखंड से गोविन्दपुर प्रखंड जाने में नवादा शहर होकर हमको गोविंदपुर प्रखंड जाना पड़ता है जो 50 किलोमीटर के रेडियस में है और रोह से दस किलोमीटर पुल जायेगा तो दस किलोमीटर किसी रेडियस में हमलोग पहुंच सकते हैं और वहां लोगों को बहुत कष्ट होता है, हम चाहेंगे कि सरकार इस पर विचार करे । इसी के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री कौशल यादव जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रम सं0-11, श्री सुबेदार दास,स0वि0स0

श्री सुबेदार दास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिलान्तर्गत मखदुमपुर प्रखंड स्थित मखदुमपुर नवाबगंज मुख्य पथ में जमुना नदी में छरियारी पुल का निर्माण करावें ।"

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत मखदुमपुर प्रखंड से पथ निर्माण विभाग के क्षेत्राधीन मखदुमपुर सोनवा हुलासगंज पथ के चौथे किलोमीटर में जमुने नदी पर अवस्थित छरियारी संर्कीण पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण वर्ष 2019-20 के कार्य योजना में प्रस्तावित है, इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुबेदार दास : धन्यवाद सर । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री सुबेदार दास जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रम सं0-12- श्री आनंद शंकर सिंह, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रम सं0-1, श्री तारकिशोर प्रसाद, स0वि0स0

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन आ गये हैं, आप श्री तारकिशोर प्रसाद जी का जवाब देंगे क्या, बताइए ?

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : जी हां ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव पढ़ा हुआ है ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015-20 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस0डी0आर0एफ0 एवं एन0डी0आर0एफ0) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य मुहैया कराने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1973 दिनांक 26.05.2015 द्वारा मानदर निर्गत है । यह मानदर भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिविजन) नई दिल्ली के पत्र सं0-32-7/2014-एन0डी0एम0-1 दिनांक 08.04.2015 द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में निर्गत किया गया है । इसके अनुसार अग्निकांड की स्थिति में केवल रिहायसी मकान/झोपड़ी के क्षतिग्रस्त होने पर सहायता राशि अनुमान्य है, किन्तु व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की क्षति की स्थिति में सहायता राशि अनुमान्य नहीं है । यहां यह भी स्पष्ट करना है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भुगतान किये जाने वाले राशि का भुगतान साहाय्य मानदर में निर्धारित मद एवं दर के अनुरूप स्टेट डिजास्टर रिस्पौंस फंड से देने का प्रावधान है ।

सर्पदंश की प्राकृतिक आपदा/स्थानीय प्रकृति की आपदा के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किया गया है । यथापि बाढ़ अवधि के दौरान बाढ़ जनित कारणों से सर्पदंश के कारण हुई मृत्यु को प्राकृतिक आपदा जनित कारण मानते हुए एस0डी0आर0एफ/एन0डी0आर0एफ0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान एवं अन्य अनुदान देय है, परन्तु बाढ़ अवधि के बाद सर्पदंश को प्राकृतिक आपदा जनित कारण नहीं माना गया है ।

आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना संख्या-1418 दिनांक 17.04.2015 के अनुसार मानवजनित सामूहिक दुर्घटना यथा-सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैर रिसाव जैसी दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित करते हुए दिनांक 20.03.2015 से एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान देय है ।

क्रमशः.....

टर्न–4/राजेश/19.7.19

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : क्रमशः... मानव जनित दुर्घटना जैसे सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं गैस रिसाव जैसी दुर्घटना को एक व्यक्ति के प्रभावित होने पर अनुग्रह अनुदान देय नहीं है । उक्त मामले में राज्य कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया है तथा समिति में लिये गये निर्णय के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायगी । आपदा प्रबंधन विभाग के अधीन यह सूचना 1891 दिनांक 16.7.2018 द्वारा ऑधी, तूफान को आपदा में सम्मलित किया गया है, इसमें अधिसूचना निर्गत की तिथि 16.7.18 से एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदंड तदृश्य अनुदान देय है ।

अध्यक्ष: जब प्रावधान ही नहीं है, तो इतना किसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री: महोदय, पत्रांक एवं दिनांक के साथ सूचना दे रहे थे ।

अध्यक्ष: जब प्रावधान ही नहीं है, तो माननीय सदस्य वापस लीजिये,अब क्या कहियेगा ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, सर्पदंश भी एक प्राकृतिक दुर्घटना की श्रेणी में है, क्योंकि कोई जान बूझकर तो सर्पदंश नहीं होता है, वह तो परिस्थितिजन होता है, इसलिए निश्चित रुप से इसपर सरकार को विचार करते हुए सर्पदंश से मृत परिजनों को मुआवजा की राशि मिलनी चाहिए और महोदय जो एक व्यक्ति की मृत्यु की बात है, जो सरकार विचार करने के लिए तैयार हुई है, मेरा पुनः आग्रह होगा और पूरा सदन इस भावना के साथ है कि एक व्यक्ति जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग रहते हैं और अगर उन्हें चार लाख रुपये की राशि मिलेगी, तो इसके लिए सरकार की ओर से एक बड़ा ही सहयोग होगा और यह सरकार संवेदनशील है, इसलिए मुझे लगता है कि इन मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए और इसी आलोक में, मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से मा0 सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या–13, श्री अशोक कुमार सिंह(224), स0वि0स0 ।

श्री अशोक कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद सिंहा कॉलेज मोड़ से रफीगंज पथ में सिमरा होते कझपा पथ में भदाड़ नदी पर पुल का निर्माण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सिमरा एवं झपवा महादलित टोला के बीच से मदाड़ नदी गुजरती है । नदी के किनारे बसावट सिमरा को पी०जी०एस०वाई० योजनान्तर्गत पैकेज संख्या–डी0आर0जीरा–28390/एल0आई0जीरो–6एल0जीरो–4 जीरो से सिमरा जमशेद तक पथ बारामासी पथ से संपर्कता प्रदत्त है । नदी के दूसरे किनारे झपवा महादलित टोला अवस्थित है, जो पथ निर्माण विभाग के भदवा झपवा पथ के आरेखन पर है, इस तरह झपवा महादलित टोला को पथ निर्माण विभाग के पथ द्वारा संपर्कता प्रदत्त है । सिमरा एवं झपवा महादलित टोला के बीच कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण प्रश्नाधीन पुल के किसी भी कोने को नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का तत्काल विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री अशोक कुमार सिंह(224): अध्यक्ष महोदय, यह कजपा है, सिमरा कजपा पथ में और माननीय मंत्री रोड के बारे में बताये है कि पी0एम0जी0एस0वाई0 से संपर्कता है इसका लेकिन पुल होने से जाकिम स्टेशन है, प्रखंड मुख्यालय है, तो हम पुल का मांग कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर लेंगे, हम अपना प्रस्ताव को वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से मा0सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या–14, श्री महेश्वर प्रसाद यादव, स0वि0स0 ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बन्दरा एवं मुरौल प्रखंड की सीमा पर रतवारा, मुरौल घाट पर बूढ़ी गंडक नदी के उपर एक पक्का पुल का निर्माण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, अभिस्तावित पुल स्तर राज्य के किसी भी कोर नेटवर्क के मार्गरेखन पर नहीं है, पुल स्तर के एक तरफ बन्दरा प्रखंड के एतवारा गॉव को

पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से संपर्कता प्राप्त है एवं दूसरे तरफ अवस्थित बसावट को आर0सी0डी0 पथ से संपर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित स्तर पर पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय, रतवारा गॉव से प्रत्येक दिन लगभग 500 व्यापारी नाव से नदी पार करके, मुरौल घाट पार करके, पूसा कृषि फॉर्म तक जाते हैं, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, इसलिए इसकी मांग भी काफी दिनों से हो रही है ।

(इस अवसर पर श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ने माननीय सभापति का आसन ग्रहण किया)

मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि सरकार इसपर विचार करें और मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से मा0 सदस्य श्री महेश्वर प्रसाद यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्याः 15, श्री ललन पासवान, स0वि0स0 ।

श्री ललन पासवानः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत डेहरी-यदुनाथपुर एन0एच0-2 सी का शेष सड़क अकबरपुर से बौलिया, चुनहट्टा, यदुनाथपुर, बेजदूरिया, जारादाग, डोमरखोह तक 70 कि0मी0 जीर्णशीर्ण अवस्था में होने के कारण बीस साल से आवागमन बाधित है, का शीघ्र निर्माण करावें ।''

श्री नंद किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, एन0एच0-2 सी के अवशेष भाग में वन विभाग की आपत्ति के कारण कोई कार्य स्वीकृत नहीं हो रहा है । इस मार्ग रेखन पर अनेकों गॉव अवस्थित है । जनहित में राज्य सरकार द्वारा वन विभाग की सहमति प्राप्त कर इस पथ को वर्तमान चौड़ाई में बनाने पर विचार कर रही है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्री ललन पासवानः बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से मा0 सदस्य श्री ललन पासवान जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या:16, श्री राम विलास पासवान, स0वि0स0 ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या:17, मुनेश्वर चौधरी, स0वि0स0 ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या:18, श्री जितेन्द्र कुमार, स0वि0स0 ।

श्री जितेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में 8463 पैक्स (प्राथमिक कृषि शाख सहयोग समिति) में से 800 पैक्स को विगत तीन वर्षों में डिफॉल्टर कर दिया गया है,उनका उन्नयन कर पुन: चालू करावें।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: सभापति महोदय, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना अन्तर्गत सहकारी बैंक एवं पैक्स बिहार सहकारी समितियॉं अधिनियम 1935 की धारा-11 के अन्तर्गत निबंधित एक स्वायत एवं स्वशासी सहकारी समिति है एवं उक्त अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत यह निगम निकाय के रुप में कार्य करती है। उक्त अधिनियम की धारा-44 ए0भी0 के तहत पैक्स एवं सहकारी बैंकों को सभी आंतरिक प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में स्वायतता प्रदत्त है । उक्त आलोक में पैक्सों को ऋण स्वीकृत करने का निर्णय संबंधित सहकारी बैंक के प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है । इसमें राज्य सरकार अथवा विभाग की कोई भूमिका नहीं होती है । परन्तु जहां तक व्यतिक्रमी पैक्स को उन्नयन कर उन्हें पुन: ऋण स्वीकृत करने का प्रश्न है इस संबंध में नाबार्ड का मंतव्य है कि जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का संचालन उनके उपविधि, बैंकिंग मानक एवं बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) के तहत होता है । बैंक का निदेशक मंडल तत्कालीन स्थिति को देखते हुए एवं समुचित Safe Guard रखते हुए व्यतिक्रमी पैक्स को पुन: ऋण देने का निर्णय ले सकता है तथापि यह ज्ञातव्य है कि NPA गणना के लिए समिति की स्थिति प्रथम डिफॉल्ट से ही देखी जायेगी ।

क्रमश:

टर्न-5/सत्येन्द्र/19-7-19

श्री श्रवण कुमार,मंत्री (क्रमश:): अत: नया ऋण भी तुरंत एन0पी0ए0 की श्रेणी में आ जायेगा जिसका असर बैंक के वित्तीय स्थिति पर होगा । इस मामले में आर0बी0आई0

का भी मंतव्य है । जिला सहकारी बैंक द्वारा ऋण दिया जाना उनका व्यवसायिक निर्णय होता है तथापि ऐसे निर्णय लेते समय जिला सहकारी बैंक के लिए निर्धारित व विभिन्न नियामक संस्थाओं के मौजूदा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

उपरोक्त मंतव्य के आलोक में निबंधक, सहयोग समितियॉं ,बिहार, पटना के पत्रांक 4819 दिनांक 4-6-18 द्वारा राज्य सहकारी बैंक एवं सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को निर्णय लेने हेतु परामर्श संसूचित है ।

श्री जितेन्द्र कुमारः सभापति महोदय, सहकारिता विभाग का यह रीढ़ है पैक्स और कहिये कि अगर पैक्स नहीं है तो सहकारिता विभाग ही नहीं है और ये किसानों की समस्या है, हम तो केवल जो पैक्स है, उसके उन्नययन की बात कर रहे हैं कि विशेष पैकेज देकर इसे बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि पैक्स है, तभी विभाग है और ये कहिये कि सहकारिता विभाग का यह रीढ़ है, बैक बोन है तो मैं चाहूंगा भविष्य में कि किसान हित में पैक्स पर सरकार विचार करे । इसी आलोक में मैं अपना संकल्प वापस लेता हूॅं ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 19 (श्री जनार्दन मांझी,स0वि0स0)

श्री जनार्दन मांझीः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिलान्तर्गत अमरपुर विधान-सभा क्षेत्र के जेठौर को पर्यटन स्थल का दर्जा प्रदान करे ।''

श्री प्रमोद कुमार,मंत्रीः पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटन स्थल का दर्जा दिये जाने की कार्रवाई नहीं किया जाता है, बल्कि पर्यटन स्थल पर आने वाले पर्यटकों को पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराया जाता है । बांका जिलान्तर्गत जेठौरा नाथ मंदिर, अमरपुर में पर्यटकीय सुविधा का विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु यात्री निवास, सोलर लाईट , चाहरदिवारी एवं गेट के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा 2014-15 में 1 करोड़ 2 लाख 7 हजार 117 रू0 की स्वीकृति दी गयी है। इसका कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम पटना है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लिया जाये ।

श्री जनार्दन मांझी: माननीय मंत्री जी, वहां रोड की सुविधा नगण्य है इसलिए वहां रोड की सुविधा प्रदान किया जाय । वह बहुत बिजी स्थान है, वहां बहुत लोग आते है । इस आग्रह के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-20 (श्री राजकुमार राय, स0वि0स0)

श्री राजकुमार राय: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर प्रखंड के हसनपुर ईमलीचौक पी0डब्लू0डी0 मुख्य सड़क से बाईपास रेलवे ढाला सकरपुरा से नया नगर रेलवे ढाला तक की सड़क को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित कर निर्माण कार्य करावें ।''

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री: महोदय, पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर पथ अधिग्रहण के नई नीति का गठन प्रक्रियाधीन है । नई पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षोपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री राजकुमार राय: महोदय, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि हसनपुर विधान-सभा में हसनपुर से अनुमंडल मुख्यालय और जिला मुख्यालय आने का मात्र एक ही सड़क है जो वर्षो से जर्जर है । मैं चाहूंगा माननीय मंत्री से कि इस सड़क का निर्माण करावें । अब मैं संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 21 (श्री डॉ0 अशोक कुमार, स0वि0स0,क्षेत्र सं0-139)

(अनुपस्थित)

क्रम संख्या- 22 (श्री अशोक कुमार, स0वि0स0, क्षेत्र सं0-208)

श्री अशोक कुमार: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत सोन उच्चस्तरीय कैनाल में ग्राम महदीगंज एवं बक्सर कैनाल में ग्राम झालखेरिया के पास फुटब्रिज का निर्माण करावें ।''

श्री संजय कुमार झा,मंत्री: महोदय, निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहर का जलश्राव 1 हजार क्यूसेक से 5 हजार क्यूसेक तक के बीच रहने पर दो पुलों के बीच की न्यूनतम

दूरी 2.40 कि0मी0 निर्धारित है । टेक्नीकली, सोन उच्चस्तरीय नहर के 20.24 के0मी0 के पास महदीगंज ग्राम में नहर का रूपांकित जलश्राव 2348 क्यूसेक है साथ ही साथ नहर के 19.70 कि0मी0 पर फुट ओवर ब्रीज एवं 20.78 कि0मी0 पर दुपथिये सेतु पूर्व से ही निर्मित है । महदीगंज ग्राम के निकट सोन उच्चस्तरीय नहर के 20.24 कि0मी0 पर पुल निर्माण से पूर्व निर्मित पुलों में प्रस्तावित पुल के बीच की दूरी क्रमशः 540 मीटर रह जायेगी । अतः संकल्प कालीन पुल का निर्माण तकनीकी रूप से अनुमान्य नहीं है। संकल्पाधीन झलखेरिया, ग्राम बक्सर कैनाल पर नहीं बल्कि सोन पश्चिमी मुख्य नहर के कि0मी0 21.50 के पास अवस्थित है एवं नहर का जलश्राव 1400 क्यूसेक है । सोन पश्चिमी मुख्य नहर के 18.50 कि0मी0 एवं 24 कि0मी0 पर पूर्व से निर्मित पुलों के बीच की दूरी साढ़े पांच कि0मी0 है । अतः झलकेरिया ग्राम के निकट नहर के 21.50 कि0मी0 पर पुल निर्माण हेतु योजना प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश विभागीय पत्रांक 823 दिनांक 1-7-19 द्वारा मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी को दिया गया है, इसलिए माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अशोक कुमारः ठीक है, मैं वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 23(श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0)

श्री विजय कुमार खेमकाः सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियां शहर के सिक्स लेन सड़क तिवारी कोल्ड स्टोरेज से एन0एच0 31 बाईपास तक की मुख्य कच्ची सड़क को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहित कर नाला सहित निर्माण करावें ।''

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्रीः महोदय, पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर पथ अधिग्रहण के नई नीति का गठन प्रक्रियाधीन है । नई पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षोपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री विजय कुमार खेमकाः सभापति महोदय, हमारे माननीय मंत्री श्रेष्ठ मंत्री के सम्मान से सम्मानित भी हुए हैं । संकल्प तो वापस लेंगे ही लेकिन हम सरकार से आग्रह करेंगे कि यह बहुत मुख्य सड़क है, इस पर जरूर विचार करें ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 24 (श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स0वि0स0)

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु कारगर नीति बनावें ।''

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्त्तमान में भारत सरकार की जनसंख्या स्थिरीकरण नीति के अन्तर्गत बिहार राज्य के कुल प्रजनन दर को अधिक तेजी से कम करते हुए राष्ट्रीय औसत के लक्ष्य के बराबर लाने के उद्देश्य से बिहार राज्य के पटना जिला को छोड़कर अन्य 37 जिले जिनका कुल प्रजनन 3 या उससे अधिक है, में मिशन परिवार विकास परिवार का क्रियान्वयन किया जा रहा है । इस योजना के तहत निम्नलिखित योजना को धरातल पर लागू किया जा रहा है:- मिशन परिवार विकास अन्तर्गत महिला बंध्याकरण हेतु लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि 1400 से बढ़ाकर 2000, पुरूष नशबंदी हेतु लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि 2000 से बढ़ाकर 3000, महिला बंध्याकरण के उत्प्रेरण राशि को बढ़ाकर 200 से बढ़ाकर 300, पुरूष नशबंदी हेतु उत्प्रेरक का उत्प्रेरन राशि 300 से बढ़ाकर 400 किया जा रहा है । प्रसव उपरांत कॉपर पी0पी0आई0यू0सी0डी0 की सेवा वैसे स्वास्थ्य केन्द्र जहां प्रसव की सुविधा उपलब्ध है, मुहैय्या करायी जा रही है । परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत बास्केट ऑफ च्वाईस में गर्भनिरोधक सुई एवं साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली शामिल किया गया है, साथ ही प्रति सुई 100 रू0 प्रति लाभार्थी एवं 100 रू0 उत्प्रेरक आशा को दिया जा रहा है । वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में परिवार नियोजन के स्थायी सुविधा के तहत राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पताल के स्वास्थ्य उपकेन्द्र तक कंडोम बॉक्स को अधिष्ठापित किया गया है । (क्रमश:)

टर्न-6/मधुप/19.07.2019

... क्रमश: ...

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : आम-जन में परिवार नियोजन की जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिलों में आंगनबाड़ी केन्द्र पर आयोजित होने वाली वी0एच0एस0एन0सी0 आरोग्य दिवस पर सास-बहु सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं । नव-विवाहित दम्पति को नई पहल किट आशा के माध्यम से वितरित की जा रही है जिसमें परिवार नियोजन संबंधी जानकारी के साथ गर्भ-निरोधक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित किया गया है । आम-जन को परिवार नियोजन सेवाओं के बारे में

समाचार-पत्रों, रेडियो जिंगल एवं सारथी जागरूकता रथ के माध्यम से आम-जन में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ।

प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर जुलाई माह में जनसंख्या स्थित पखवारा अक्टूबर-नवम्बर माह में पुरूष नसबंदी दिवस के अवसर पर पुरूष नसबंदी पखबारा एवं जनवरी माह में विशेष अभियान आयोजित किया रहा है । फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम के माध्यम से परिवार नियोजन सेवा के गर्भ निरोधकों की निर्बाध आपूर्ति सभी स्वास्थ्य इकाईयों पर नि:शुल्क एवं सामाजिक विपणन के तहत आशा के माध्यम से लाभार्थी के घर गर्भ-निरोधक की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है । उक्त प्रयासों का परिणाम यह हुआ है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो वर्ष 2005-06 में 4 था, वह घटकर वर्तमान में 3.2 हो गया है ।

अत: महोदय, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं सरकार को सार्थक प्रयास के लिए धन्यवाद देते हुये अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या-25 : श्री प्रह्लाद यादव, स0वि0स0</u>

श्री प्रह्लाद यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लखीसराय जिला के सिंचाई जमुई-2 डिवीजन के दायॉ भाग कुन्दर से वन्नु-बगीचा एवं सिकन्दरा डिवीजन के मोडवे डैम के वितरणी नाला का जीर्णोद्धार करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि लोअर किउल नदी घाटी सिंचाई योजना के आधुनिकीकरण अन्तर्गत कुन्दर बीयर का बराज के रूप में परिवर्तन दायॉ मुख्य नहर का लाइनिंग, नंदनामा उप वितरणी का निर्माण एवं वितरण प्रणाली का पुनर्स्थापन कार्य 83.61 करोड़ रूपये की लागत से कराया जा रहा है। इसके अन्तर्गत दायॉ मुख्य नहर कुन्दर से वन्नु-बगीचा तक का लाइनिंग कार्य कराया जा रहा है । योजना की अद्यतन प्रगति 96 परसेंट है । मोड़वे जलाशय योजनान्तर्गत विभिन्न संरचनाओं का पुनर्स्थापन कार्य 60.85 करोड़ रूपये की

लागत से कराया जा रहा है । योजना का कार्य लगभग पूर्ण है । मोड़वे डैम के पुनर्रूद्धार एवं वितरण प्रणाली के पुनर्स्थापना कार्य का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है । निधि की उपलब्धता के आधार पर इसके कार्यान्वयन पर विचार किया जायेगा ।

इसलिये माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री प्रह्लाद यादव : महोदय, प्रस्ताव तो वापस लेना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन माननीय मंत्री जी को जो जवाब आया है, उसमें माननीय मंत्री जी विभागीय पदाधिकारी से पूछेंगे कि ठीक है, आप मेन नहर को बना देते हैं और वितरणी नाला आपका जितना भी है, सब ध्वस्त है । दोनों डैम में पूरे साइड में, एक दायाँ नहर जो कुन्दर से वन्नु-बगीचा बीयर तक जाता है और मोड़वे डैम, जो कजरा सूर्यगढ़ा तक जाता है, जब मेन नहर से पानी आयेगा और आपका वितरणी ही बर्बाद है तो आपका खेत में पानी कहाँ जा रहा है ।

इसलिये माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि इसी वित्तीय वर्ष में इसको करवा दीजिये ताकि कम से कम किसान को पानी चला जाय ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या-26 : श्री सैयद अबु दौजाना, स0वि0स0</u>

श्री सैयद अबु दौजाना : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अंतर्गत पुपरी पावर सब-स्टेशन के नजदीक बिहार सरकार की जमीन पर ग्रीड का निर्माण करावे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वर्तमान में सीतामढ़ी जिलान्तर्गत कोई विद्युतीय भार अवरोध, यानी load constraint नहीं है तथा पुपरी अनुमंडल में पहले से ही 32/33 के0वी0ए0 ग्रीड उपकेन्द्र सुरसंड स्थापित है, जिसकी क्षमता 40 एम0वी0ए0 है तथा वर्तमान में अधिकतम विद्युत खपत 27 मेगावाट है । पुपरी प्रखंड के नजदीक ग्रीड उपकेन्द्र निर्माण की योजना का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे कृपया अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री सैयद अबु दौजाना : प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-27 : श्री नीरज कुमार, स0वि0स0

श्री नीरज कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत काढ़ागोला घाट में गंगा नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री नन्दकिशोर यादव, मंत्री : महोदय, संकल्पाधीन पुल स्थल के अप-स्ट्रीम साइड में 28 कि0मी0 की दूरी पर भागलपुर में गंगा नदी पर 2-लेन विक्रमशीला सेतु का निर्माण सरकार द्वारा पूर्व में ही कराया जा चुका है । वर्तमान में इस विक्रमशीला सेतु के समानांतर पुल बनाने की प्रक्रिया के क्रम में 4-लेन पुल का डी0पी0आर0 स्वीकृति की प्रक्रिया में है ।

महोदय, इसके साथ-साथ कटिहार जिला में ही इसके डाउन-स्ट्रीम साइड में दो राज्यों झारखंड-बिहार को जोड़ने हेतु साहेबगंज से मनिहारी के बीच गंगा नदी पर पुल स्वीकृत है एवं संकल्पाधीन पुल स्थान से लगभग 55 कि0मी0 की दूरी पर डाउन-स्ट्रीम साइड में बन रहा है ।

अतः तत्काल काढ़ागोला घाट पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री नीरज कुमार : महोदय, माननीय मंत्री जी से हम प्रार्थना करेंगे कि इसपर पुनर्विचार करें । गुरू तेग बहादुर साहब वहाँ आये थे घाट पर । हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या–28 : श्री जिवेश कुमार, स0वि0स0

श्री जिवेश कुमार : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह उत्तर बिहार स्थित सीतामढ़ी शहर को मधुबनी शहर से जोड़नेवाली नेपाल सीमा से सटे अत्यधिक महत्वपूर्ण राज्य उच्च पथ–52(SH-52) को चार मार्ग (4 LANE) वाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग में तब्दील करें ।''

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री : महोदय, वर्तमान में एस0एच0–52 ओ0पी0आर0एम0सी0–2 के अन्तर्गत संधारित है । किसी भी पथ को राष्ट्रीय उच्च पथ में परिवर्तित करने का सरकार के पास वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

महोदय, हम अभी नेशनल हाईवे नहीं बनाना चाहते हैं, चूंकि हम जो स्टेट हाईवे बनाते हैं, खुद संधारित कर पाते हैं । वर्तमान में अभी किसी सड़क को नेशनल हाईवे में परिवर्तित करने का कोई विचार सरकार का नहीं है।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस ले लें ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, यह नेपाल सीमा से सटा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि भारत–नेपाल सीमा का सटा हुआ सड़क है, जनहित में इसपर विचार करें और राष्ट्रहित में एक बार पुनर्विचार करें । हम प्रस्ताव वापस लेते हैं।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या–29 : श्री नन्द कुमार राय, स0वि0स0

श्री नन्द कुमार राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमंडल कार्यालय को मोतीपुर में चिन्हित भूमि पर स्थानांतरित करावे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, पश्चिमी अनुमंडल मुजफ्फरपुर का मुख्यालय मोतीपुर स्थानांतरित करने से संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिटी के निर्णय के आलोक में प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रासंगिक कागजात उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को किया गया है । इस हेतु स्मारित भी किया गया है ।

इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रखंड, अंचल, थाना के प्रशासनिक इकाईयों में एवं राजस्व पुलिस जिले की वर्तमान सीमाओं में सीमांकन हेतु प्रस्ताव भी जिला पदाधिकारी, सभी आरक्षी अधीक्षक से संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से भेजने हेतु मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत पत्र संख्या-1287 दिनांक-03.02.2017 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमंडल कार्यालय को मोतीपुर में स्थानांतरित किये जाने के संबंध में उक्त विहित रीति से प्रस्ताव अबतक अप्राप्त है ।

अत: अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लें । फिर कमीश्नर को कहा गया है कि जल्द से जल्द अपने प्रस्ताव को भेजें । अभी फिलहाल माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प कृपया वापस लें ।

श्री नन्द कुमार राय : कमीश्नर साहब के यहाँ बहुत दिन से लम्बित है, आपसे आग्रह है कि जल्दी इसको मँगवा लें । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-7/आजाद/19.07.2019

<u>क्रम सं0-17 : श्री मुनेश्वर चौधरी,स0वि0स0</u>

श्री मुनेश्वर चौधरी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुरक्षा के सुनिश्चित व्यवस्था के मद्देनजर माननीय विधायकों को तीन के बदले पाँच अंगरक्षक एवं माननीय पूर्व विधायकों को 01 के बदले 02 अंगरक्षक प्रतिनियुक्त करावें ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, गृह विभाग, विशेष शाखा, बिहार, पटना की संकल्प सं0-3663 दिनांक 7.6.2017 के द्वारा विधान मंडल के माननीय विधायकों/पार्षदों की सुरक्षा हेतु तीन-तीन अंगरक्षक एवं माननीय पूर्व विधायकों/पार्षदों को एक-एक अंगरक्षक की सुविधा प्रदान करने का सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है । संकल्प के प्रावधान के अनुसार विशेष सुरक्षा समिति द्वारा उक्त श्रेणी के महानुभावों के वर्तमान गतिविधियों, उनपर आसन्न खतरों का श्रोत, उनके

गंभीरता, उनके संबंध में प्रशासनिक महत्व की अन्य सूचना जिले में पुलिस बल एवं सशस्त्र की उपलब्धता एवं अन्य सुसंगत पहलुओं पर विचार कर अतिरिक्त अंगरक्षक प्रदान करने हेतु निर्णय लिया जाता है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि माननीय विधायक एवं माननीय पूर्व विधायक के वर्तमान में अनुमान्य अंगरक्षकों की सुविधा के अतिरिक्त अंगरक्षक प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । अतः अनुरोध है कि वे कृपया अपना संकल्प वापस लें।

श्री मुनेश्वर चौधरी : महोदय, मैं वापस कर लूंगा लेकिन यह व्यक्तिगत मेरा सवाल नहीं है ...

महोदय, हम तो सरकार से आपके माध्यम से आग्रह कर रहे थे । महोदय, मेरा ही थोड़े है, यह सभी सदस्यों की ही शोभा सदन है ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : यह सब मंत्री जी ग्रहण कर लिये । सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम सं0-30 : श्रीमती सावित्री देवी,स0वि0स0</u>

श्रीमती सावित्री देवी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिला के चकाई प्रखंड में 30 बेड का अस्पताल का निर्माण करावें । ''

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जमुई जिला के चकाई प्रखंड स्थित रेफरल अस्पताल के जर्जर भवन के स्थान पर 30 शैय्या के समतुल्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

अतः मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्रीमती सावित्री देवी : महोदय, कब तक शुरू होगा, एकदम जर्जर है, कब गिर जायेगा, पता नहीं । मैं सभापति महोदय के आदेश से अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रम सं0-31 : श्री सत्यदेव सिंह,स0वि0स0

श्री सत्यदेव सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला अरवल के कुर्था प्रखंडान्तर्गत स्थित ऐतिहासिक लारीगढ़ की खुदायी में मिले बौद्धकालीन कलाकृंतियों एवं सामग्रियों के संरक्षण हेतु संग्रहालय का निर्माण कर बौद्ध सर्किट से जोड़ते हुए इसे पर्यटक स्थल बनावें । ''

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला अरवल के कुर्था प्रखंड अन्तर्गत लारीगढ़ पुर:स्थल के उत्खनन संस्था, बिहार विरासत विकास समिति, पटना के कार्यालय कार्यपालक निदेशक द्वारा सूचित किया गया कि लारीगढ़ की खुदाई में बौद्ध सामग्री एवं कलाकृतियों के रूप में मात्र एक पक्की मिट्टी का मनौती स्तूप प्राप्त हुआ है । मात्र एक बौद्ध पुर:अवशेष के लिए संग्रहालय का निर्माण उचित प्रतीत नहीं होता है । वर्तमान में विभाग की लारीगढ़ में संग्रहालय निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध करते हैं कि संकल्प वापस ले लें ।

श्री सत्यदेव सिंह : सभापति महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रम सं0-32 : श्री मो0 नेमतुल्लाह,स0वि0स0

श्री मो0 नेमतुल्लाह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिला के बरौली में डिग्री कॉलेज का निर्माण करें । ''

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : सभापति महोदय, प्रस्तुत संकल्प के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय है । जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । बरौली, गोपालगंज जिला के गोपालगंज अनुमंडल के क्षेत्रान्तर्गत है । जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय के रूप में गोपालगंज कॉलेज, गोपालगंज एवं महेन्द्र महिला कॉलेज, गोपालगंज संचालित है । जिन प्रखंडों में कोई भी महाविद्यालय संचालित नहीं हैं वहां नालन्दा खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से अध्ययन केन्द्र की स्थापना की जा रही है ।

अतः सम्प्रति बरौली में डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : गुजारिश तो आपका एकसेप्ट किया जायेगा लेकिन महोदय डिग्री कॉलेज अगर नहीं है, बच्चियां हैं, बच्चे हैं सब गोपालगंज जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। कितना मुश्किल है । आप जानते ही है कि आजकल विधि-व्यवस्था क्या है सरकार की ? इसीलिए हम चाहते हैं कि कम से कम महिला डिग्री कॉलेज बरौली में खोलें । इसका आश्वासन दें । इसी आश्वासन के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रम सं0-4 : श्री फराज फातमी,स0वि0स0</u>

श्री फराज फातमी : महोदय, मेरा संकल्प सं0-4 है, मैं अपना संकल्प पढ़ चुका हूँ, माननीय मंत्री जी से मेरा जवाब दिलवा दिया जाय सर ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : संकल्प सं0-4, इसका जवाब दीजिए, माननीय मंत्री,शिक्षा विभाग।

श्री कृष्णनंनदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : सभापति महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि प्रस्तुत संकल्प कि राज्य सरकार के वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय है । जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । केवटी प्रखंड, दरभंगा जिला के अन्तर्गत दरभंगा अनुमंडल के क्षेत्रान्तर्गत है । जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय के रूप में सी0एम0 कॉलेज, दरभंगा एवं साईंस कॉलेज, दरभंगा, एम0आर0एम0 कॉलेज, दरभंगा एवं एम0एल0एस0एम0कॉलेज, दरभंगा संचालित है । जिन प्रखंडों में कोई भी महाविद्यालय संचालित नहीं हैं वहां पर नालन्दा खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से अध्ययन केन्द्र की स्थापना की जा रही है ।

अतः सम्प्रति केवटी प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है । अतः अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री फराज फातमी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव वापस ले लेता हूँ लेकिन निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से .....

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रम सं0-33 : श्री निरंजन राम,स0वि0स0

श्री निरंजन राम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मोहनयिा के चाँदनी चौक के पास से भभुआ पी0डब्लू0डी0 रोड से एन0एच0-02 स्थित पटना मोड़ तक फोर लेन बाईपास का निर्माण करावें । ''

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-02 के वाराणसी-औरंगाबाद खंड के 6 लेन चौड़ीकरण का कार्य प्रगति में है । यह कार्य एन0एच0आई0 द्वारा कराया जा रहा है और महोदय, मोहनिया से भभुआ के बीच में सड़क की चौड़ीकरण का काम भी हम कर रहे हैं । मोहनिया के पास अन्डरपास बना हुआ है और 6 लेन के दोनों ओर सर्विस लेन का भी प्रावधान है । जहां से ये मोहनिया मोड़ से कह रहे हैं, वहां से पटना मोड़ की दूरी महोदय 50मीटर है । तत्काल अभी बाईपास निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री निरंजन राम : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस ले रहा हूँ लेकिन मोहनिया कैमूर जिला का मुख्यालय है । महोदय, मैं इसलिए आग्रह करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि इसपर गंभीरता से जरूर विचार करेंगे, अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

टर्न-8/शंभु/19.07.19

क्रम सं0-34, श्री सुधांशु शेखर,स0वि0स0

श्री सुधांशु शेखर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना, जो वर्तमान में जल संसाधन के जमीन पर बने भवन में संचालित है, का अपना नया भवन निर्माण करावे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड का खिरहर थाना वर्तमान में थाना सं0-47, खेसरा सं0-4580 कुल रकबा 80 डि0 में बोरहर मौजा के अन्तर्गत बिरहर चौक पर स्थित है । उक्त भूभाग कोशी नहर निर्माण हेतु सिंचाई विभाग, बिहार के सहायक अभियंता हेतु अधिगृहित किया गया है । उक्त भूमि भूभाग पर खिरहर थाना भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । भूमि हस्तांतरण के उपरांत भवन निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : वापस लीजिए ।

श्री सुधांशु शेखर : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-35, श्री भाई वीरेन्द्र,स0वि0स0

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखंड स्थित पंचायत कित्ता चौहत्तर मध्य के इसलामगंज ग्राम जानेवाली रास्ते में फुटानी चौक के निकट सोन सोती में पुल का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखंड स्थित पंचायत कित्ता चौहत्तर मध्य के इसलामगंज ग्राम जानेवाली रास्ते में फुटानी चौक के निकट सोन सोती नदी पर है । इस पुल स्थल के एक तरफ इसलामगंज ग्राम है जिसे पी0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत निर्मित पथ एल-026 हल्दी छपरा इसलामगंज पथ से संपर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के दूसरी तरफ फुटानी चौक पी0एम0जी0एस0वाइ0 निर्मित पथ मनेर से हल्दी छपरा पथ पर अवस्थित है । उल्लेखित दोनों बसावटों इसलामगंज एवं फुटानी चौक के मध्य सोन सोती नदी है । इस आरेखन में कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । इसके निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है । अत: वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : सभापति महोदय, वह रास्ता दर्जनों गांव को जानेवाला है और सोन सोती चूंकि बाढ़ के दिनों में काफी पानी हो जाता है, नाव से लोगों को पार करके जाना

पड़ता है। इसलामगंज गांव में जानेवाला ये कह रहे हैं माननीय मंत्री जी कि रोड बना है, लेकिन आधा ही रोड बना है पूरा रोड नहीं बना है । दूसरा है कि उस गांव में जाने के लिए जहां फुटानी चौक का चर्चा मैंने किया वहां पुल की आवश्यकता है, चूंकि सोन सोती है और बाढ़ के दिनों में आप बिना नाव से पार किये नहीं जा सकते हैं । इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि वहां पुल का निर्माण चूंकि सरकार पिछले बार निर्माण कराने का प्रस्ताव था लेकिन जमीन के अभाव में नहीं हो सका । अब जमीन का जुगाड़ हमने कर लिया है । वहां पर पुल बनाने का सरकार विचार करे ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : वापस लीजिए ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, जिस पुल की चर्चा कर रहे हैं माननीय सदस्य हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि पुल के दोनों तरफ जो टोले हैं उसको संपर्कता है। हम इसको देखवा लेते हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : मंत्री जी के आश्वासन के बाद मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम सं0-36, श्री शिवचन्द्र राम,स0वि0स0</u>

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के देसरी प्रखंड के धरमपुर रामराय अजमीर बाबा के निकट एवं किचनी के विश्वनाथ राय के निकट नहर पर जनहित में पुल का निर्माण करावे।''

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वैशाली जिला के देसरी प्रखंड के धरमपुर रामराय अजमीर बाबा एवं किचनी निवासी विश्वनाथ राय के पास से मलमला जल निस्सरण नाला गुजरता है । धरमपुर रामराय अजमीर बाबा के निकट पानापुर सुखानन्द टोला में मलमला नाला पर 1 कि0मी0 के अंदर दो आर0सी0सी0 पुल निर्मित है । इन दोनों पुलों का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं किया गया है । आम आवागमन हेतु जल निस्सरण नाला पर पुल निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है । यदि ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग उक्त स्थानों पर पुल निर्माण कराती है तो जल संसाधन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जायेगा ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : वापस लीजिए । ये तो बोल ही दिये हैं कि अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देंगे ।

श्री शिवचन्द्र राम : ठीक है सर, वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-37, श्री यदुवंश कुमार यादव,स0वि0स0

श्री यदुवंश कुमार यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिला के मानसी से सुपौल जिला के चौघारा तक स्वीकृत एस0एच0डब्लू0 पथ को विस्तारित कर लिटियाही में एन0एच0-327(इ0) से जोड़े । ''

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, वर्तमान में बैजनाथपुर से लिटियाही तक पथ का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है । बैजनाथपुर राज उच्च पथ सं0-95 मानसी हरदी चौघारा पथ के पटुवाहा नामक स्थान पर एन0एच0-106 से जोड़ता है और इस प्रकार एन0एच0 सं0-327(इ) पर स्थित लिटियारी की संपर्कता मानसी हरदी चौघारा पथ से बैजनाथपुर से लिटियाही पथ के निर्माणोपरान्त पूर्ण रूप से हो जायेगा । मानसी हरदी चौघारा पथ का डी0पी0आर0 बन गया है उसके निर्माण की अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : वापस लीजिए ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : ये दो सड़क है जो लिटियाही से बैजनाथपुर जानेवाली सड़क उत्तर दक्षिण जाती है और चौघारा दक्षिण पश्चिम कोना से आकर के चौघारा में मानसी से आकर सड़क मिलती है । इस सड़क के बाद मतलब सरकारी सड़क है जो लिटियाही में सीधे 7 कि0मी0 की दूरी पर लिटियाही एन0एच0 में जाकर मिलती है । ये 7 कि0मी0 की दूरी से लिटियाही बैजनाथपुर सड़क का भी संपर्क मिलेगा और एन0एच0 327 से भी इस सड़क को सड़क मिल जायेगा । आपको कहीं जमीन भी नहीं लेना है, यह 7 कि0मी0 सड़क बिना बना हुआ है । इसलिए इसको सिर्फ बढ़ाने की आवश्यकता है । जिसकी चर्चा की गयी है उससे इसको कोई मतलब नहीं है । इसलिए इसको विस्तारित करके एन0एच0 327 में लिटियाही से जोड़ा जाय ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : वापस ले लीजिए ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : महोदय, महोदय, हम चाहेंगे कि इसका विस्तारीकरण कर दें । मैं वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-38, श्री सत्यदेव राम,स0वि0स0

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सिवान जिला के मैरवा को अनुमंडल का दर्जा प्रदान करे । ''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, राज्य में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुनर्गठन हेतु मंत्रियों के समूह का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है । साथ ही मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु सचिवों की समिति गठित है । सचिवों की समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त पूर्ण, औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाता है । प्रस्ताव भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है । सिवान जिला के मैरवा को अनुमंडल बनाये जाने के संबंध में उक्त विहित रीति से कोई प्रस्ताव नहीं है । अत: अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लें ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : वापस लीजिए ।

टर्न-09/19.07.2019/बिपिन

श्री सत्यदेव राम : महोदय, एक तो यह मांग पिछले लंबे समय से चल रहा है, उठ रहा है।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): आप अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री सत्यदेव राम: सभापति महोदय, सुन लीजिए । मैरवां में अभी आधे दर्जन से अधिक अनुमंडलीय कार्यालय चलते हैं और बॉर्डर का इलाका है । ऐसी परिस्थिति में जनहित में मैरवां को अनुमंडल का दर्जा देना आवश्यक है और माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि इसको प्रस्ताव में रखा जाए और आगे इसको अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-39 श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, स.वि.स.

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के रा0कृ0उ0 विद्यालय मटिहानी में स्टेडियम का निर्माण करावें ।''

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत मटिहानी प्रखंड के के.एल.यू. उच्च विद्यालय मटिहानी के स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है । उक्त स्टेडियम निर्माण की अद्यतन जानकारी सहित निर्माण कार्य प्रारंभ करने में हो रही समस्या का समाधान करते हुए यथाशीघ्र निर्माण कराने हेतु जिला पदाधिकारी बेगूसराय को निदेशित किया गया है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : सभापति महोदय, सरकार का यह जवाब 2009-10 से ही आ रहा है । 2008-09 में सरकार के द्वारा इस स्टेडियम की मंजूरी दी गई । मैं सिर्फ सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उक्त विद्यालय में जमीन उपलब्ध है, सरकार के द्वारा 28लाख रूपए का आवंटन बेगूसराय प्रशासन को प्राप्त है तो सरकार 2009-10 से वर्त्तमान पदस्थापित बेगूसराय जिला के पदाधिकारी पर कौन-सा कार्रवाई करेगी, जो पदाधिकारी उदासीनता का परिचय 10 वर्षों से देते चला आ रहा है और साथ ही सरकार से यह आग्रह करेंगे कि एक महीना के अंदर कार्य का शुभारंभ करा दे । इसी निवेदन के साथ मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-40 श्री रत्नेश सादा, स.वि.स.

श्री रत्नेश सादा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के अतलखा पंचायत के सरूआ बुटहा एवं चंडी स्थान पर जम्हरा नदी में पुल का निर्माण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल के दोनों तरफ की आबादी मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना से निर्मित अतलखा-ननौती मुख्य सड़क से विराटपुर चंडी स्थान भाया सरवा से संपर्कता प्राप्त है । जम्राहा नदी के पूर्वी तटबंध पर सरूआ महादलित टोला अवस्थित है जिसकी संपर्कता हेतु सरूआ महादलित टोला से बूटहा महादलित टोला तक पथ शीर्ष एम.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत प्राक्कलन स्वीकृति

की प्रक्रिया में है । उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अभिस्तावित पुल के निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रत्नेश सादा: सभापति महोदय, जम्हारा चण्डी स्थान और सरूआ-बूटहा महादलित टोला बहुत ही इंटेरियर एरिया में है और उसको घूमना पड़ता है विराटपुर होकर कतलखा होकर आना पड़ता है । इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जम्हारा नदी में पुल का निर्माण कराया जाय । इसके साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या-41 श्री ललित कुमार यादव, स.वि.स.</u>

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): अधिकृत हैं श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव । श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव प्रस्ताव पढ़ें ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य सरकार मानक के अनुरूप दन्त चिकित्सकों का पद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र में सृजित कर आम नागरिक को दन्त चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध करावें ।''

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दंत चिकित्सक का पद सृजित है । राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य के प्राथमिक केंद्रों में नवचयनित 552 दंत चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्रवाई अंतिम चरण में है । स्वास्थ्य उपकेंद्र में चिकित्सक का पद प्रावधानित नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वे अपने संकल्प को वापस लें।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव: वापस तो ले ही लेंगे महोदय, वापस तो लेना ही है, लेंगे, प्रक्रिया बना हुआ है लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में उप स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर गरीब लोग को ज्यादातर दिखाने के लिए दूर जाना पड़ता है तो प्रावधान करने से आम लोगों को फायदा होगा । इसपर विचार करिएगा । इसी के साथ हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या–42 श्री शत्रुधन तिवारी, स.वि.स.

श्री शत्रुधन तिवारी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला अन्तर्गत अमनौर विधान सभा क्षेत्र में भेल्दी से दिघवारा राजकीय उच्च पथ में फिरोजपुर होते हुए भीमाबांध तक जाने वाली सड़क में फिरोजपुर में नदी पर एक आर.सी.सी. पुल का निर्माण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पुल स्थल के एक तरफ फिरोजपुर बसावट एम.एम.जी.एस.वाई. पथ से संपर्कता प्राप्त है एवं दूसरे तरफ ग्राम भीमाबांध को पी.एम.जी.एस.वाई. से निर्मित पथ एवं एम.एम.जी.एस.वाई. निर्माणाधीन पथ से संपर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के अप–स्ट्रीम में 2.8 कि.मी. पर एवं डाउन स्ट्रीम में 3.10 कि. मी. पर पुल पूर्व से निर्मित है । पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है। पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री शत्रुधन तिवारी: महोदय वहां सबसे अधिक दलित बस्ती है और सामने थाना है और जिला मुख्यालय जाने के लिए वही रास्ता है और एक कि.मी. में दो पुल है । वहां से यह 2 कि.मी. है, इसलिए वहां पुल का निर्माण किया जाए । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या–43 श्री मिथिलेश तिवारी, स.वि.स.

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिले के R.E.O-2 की सड़क झंझवा–बरौल पथ (12 कि.मी.) तथा विशुनपुरा (महम्मदपुर)–सुरहियां (7 कि.मी.) मुख्य सड़क का चौड़ीकरण शीघ्र करावें।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, अभिस्तावित प्रश्न दो पथों से संबंधित है जिसका प्राक्कलन बिहार पथ अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत तैयार किया गया है । स्वीकृति उपरांत मरम्मती कार्य कराया जा सकेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मिथिलेश तिवारी: महोदय, 2017 से यह सड़क क्षतिग्रस्त है बाढ़ के कारण । माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि जल्दी-से-जल्दी स्वीकृति कराकर निर्माण करावें और इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-44 श्री अनिल सिंह, स.वि.स.

श्री अनिल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री सामान्य वर्ग छात्रावास अनुदान योजना प्रारंभ करते हुए छात्रावासों में रहने वाले सामान्य वर्ग के प्रत्येक छात्र/छात्रा को 1000/-(एक हजार) रूपये प्रतिमाह का अनुदान स्वीकृत करे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया अपना संकल्प वापस लें।

श्री अनिल सिंह : सभापति महोदय, इस सदन के माध्यम से ...

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री अनिल सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव ही तो लाया हूं । मैं चाहता हूं कि इसपर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जब सरकार ने भारत सरकार भी, बिहार सरकार ने जब आरक्षण दिया है महोदय, तो उन गरीब बच्चों ने कौन-सा अपराध किया है । संसाधन के अभाव में उनकी प्रतिभा दम तोड़ती है । मैं आग्रह पूर्वक मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस प्रस्ताव को स्वीकृत करें और आगे इसको प्रभावी तरीके से लागू करें । मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं महोदय ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-45 श्री अमित कुमार, स.वि.स.

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित।)

टर्न : 10/कृष्ण/19.07.2019

क्रम संख्या–46 श्रीमती आशा देवी,स0वि0स0

श्रीमती आशा देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दानापुर प्रखंड अंतर्गत शाहपुर, सियाराम सिंह यादव विद्यालय के जर्जर भवन के स्थान पर विद्यालय के नये भवन का निर्माण करावें । "

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सियाराम सिंह यादव उच्च विद्यालय, शाहपुर, दानापुर में अच्छी व्यवस्था अवस्था में अवस्थित 9 वर्ग कक्ष के तहत वर्ग–9 से 12 तक के 1074 बच्चों का अध्यापन कार्य सम्पादित किया जाता है । इस विद्यालय के 8 वर्ग कक्ष जर्जर स्थिति में हैं । प्रबंध निदेशक,बिहार शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को विभागीय पत्रांक 14421 दिनांक 18.07.2019 प्रश्नगत विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर जर्जर भवन के जीर्णोद्धार अथवा उसको तोड़कर नया वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कराकर शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। प्राक्कलन प्राप्त कर अपेक्षित निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दिया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्रीमती आशा देवी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

सभापति श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या–47 श्रीमती अमिता भूषण,स0वि0स0

श्रीमती अमिता भूषण : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगुसराय जिले के अंतर्गत चांदपुरा पंचायत जो प्रखंड के रूप में स्थापित होने की अन्य अर्हताओं को पूर्ति करता है, को प्रखंड का दर्जा प्रदान करे । "

श्री श्रणव कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, बेगुसराय जिलान्तर्गत चांदपुरा को नये प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में विभाग को आवेदन प्राप्त हुआ है । उक्त आवेदन के समीक्षोपरांत जिला पदाधिकारी, बेगुसराय विहित प्रपत्र–16 कॉलम में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध

किया गया है । पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के तहत अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती अमिता भूषण : माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुये मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से श्रीमती अमिता भूषण जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-48 श्री उपेन्द्र पासवान,स0वि0स0

श्री उपेन्द्र पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्व के राज्य कोर नेटवर्क के कार्य प्रमंडल मंझौल-बखरी के पृष्ट संख्या-14, प्रपत्र-08 के क्रमांक 02 पर स्थित बेगूसराय जिला के बखरी प्रखंड अंतर्गत राटन पंचायत के ब्रह्मदेव नगर एवं निशिहारा के मध्य नदी पर पुल का निर्माण करावें । "

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय,अभिस्तावित पुल राज्य कोर नेटवर्क के छूटे हुये पुल-पुलियों की सूची में सम्मिलित है । प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य कराया जा सकेग ।।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री उपेन्द्र पासवान : सभापति महोदय, निधि की व्यवस्था तो हो रही रही है । प्रस्ताव आ गया है माननीय मंत्री महोदय यह स्पस्ट कर दें कि इस वित्तीय वर्ष में होगा या नहीं । इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-49 श्री लाल बाबू राम,स0वि0स0

श्री लाल बाबू राम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलार्न्गत सकरा प्रखंडान्तर्गत पंचायत कटेसर में जल मीनार का निर्माण करावें।"

श्री कपिलदेव कामथ,मंत्री : सभापति महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सकरा प्रखंड के ग्राम पंचायत कटेसर में मुख्यमंत्री ग्रामीण के जल निश्चय योजना का कार्यान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा डब्ल्यू0आई0एम0जी0 के माध्यम से कराया जा रहा है जिसके संबंध में जिला पंचायती राज पदधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1351

दिनांक 19.07.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वार्ड संख्या- 1, 2, 5 एवं 12 में कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वार्ड संख्या-3, 9 एवं 10 में कार्य प्रगति पर है । शेष वार्ड संख्या- 4, 6, 7, 8 और 11 वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुराध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने कृपा करें ।

श्री लाल बाबू राम : महोदय, जो अभी आंकड़ा माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, यह आंकड़ा पदाधिकारियों के टेबुल का रिपोर्ट है । अभी तक कटेसर पंचायत में एक भी नल जल योजना के तहत एक भी सबमर्सेबुल पम्प का निर्माण नहीं हुआ है । महोदय, पंचायत के लोग दूषित पानी पीने से अनेक तरह के बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं । चापाकल से पानी निकलने के आधा घंटा के बाद पानी पीला हो जाता है, जो पीने लायक नहीं रह जाता है । इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या-50 श्री सरोज यादव,स0वि0स0</u>

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के बड़हरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत धरहरा से कायमनगर होते हुये पंडितपुर आर0 डब्ल्यू0 डी0 पथ तक सड़क का निर्माण जनहित में करावें ।"

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन बड़हरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत धरहरा से कायमनगर होते हुये पंडितपुर आर0डब्ल्यू0डी0पथ तक पथ के आरेखन में पड़नेवाले बसावटों की सम्पर्कता निम्नवत् है :-

1. धरहरा : एन0 एच0-30 पर अवस्थित

2. कायमनगर : राज्य योजनान्तर्गत एन0एच0-30 कायमनगर से लौंग बाबा के मठिया तक पथ से संपर्कित है ।

3. पंडितपुर : राज्य योजनान्तर्गत मखदमपुर, डुमरिया, सेमरिया से कहरा रोड तक पथ से संपर्कित है । प्रश्नाधीन पथ के आरेखन में पड़नेवाले सभी बसावटों को बारामासी पथ से एकल संपर्कता प्रदत है । इसके निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सरोज यादव : सभापति महोदय, मैं तो अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं लेकिन माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि 12 से 14 पंचायत इससे प्रभावित है ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से श्री सरोज यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-51 श्री विनय वर्मा,स0वि0स0

श्री विनय वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण जिला के बनवरिया पंचायत के ग्राम मढ़िया से चतुर्भुजवा गांव तक जर्जर सड़क का जीर्णोद्धार करावें ।"

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 2.83 कि0 मी0 है, जिसका डी0 पी0 आर0 एम0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत तैयार कर लिया गया है । स्वीकृति के उपरांत निर्माण कार्य कराया जा सकेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विनय वर्मा : मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से श्री विनय वर्मा जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-52 श्रीमती भागीरथी देवी,स0वि0स0

श्री भागीरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण जिला के रामनगर विधान सभा क्षेत्र के डोमट पंचायत के ग्राम बलबल से ग्राम राजपुर तक सड़क का जीर्णोद्धार करावें ।"

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, अभिस्तावित पथ का ग्राम बलबल एवं राजपुर को अलग-अलग पी0एम0जी0एस0वाई0 पथों से संपर्कता प्राप्त है । इस आरेखन के किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती भागीरथी देवी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से श्रीमती भागीरथी देवी का का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-11/ज्योति/19-07-2019

क्रम संख्या 53 श्री जयवर्द्धन यादव

श्री जयवर्द्धन यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला के प्रखंड दुल्हिन बाजार के ग्राम - बेलहौरी के बधार में स्थित गेहुंआ पइन पर पूर्व निर्मित सुलिस गेट संरचना का जीर्णोद्धार करावे । ''

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, पटना जिला के प्रखंड दुल्हिन बाजार के ग्राम -बेलहौरी के बधार में स्थित गेहुंआ पइन पर निर्मित सुलिस गेट की संरचना जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है । इस संरचना का नये सिरे से निर्माण कराने की आवश्यकता है । संरचना स्थल पर पइन का सर्वेक्षण कराया जायेगा । सर्वेक्षणोपरान्त संरचना के निर्माण हेतु रुपांकन आंकड़ा एकत्र किया जायेगा तत्पश्चात् रुपांकन कराकर डी.पी.आर. तैयार कराया जायेगा । योजना का कार्यान्वयन निधि उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर महोदय करा दिया जायेगा, अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपने गैर सरकारी संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री जयवर्द्धन यादव : माननीय मंत्री जी को आभार के साथ अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या 54 - श्री शम्भुनाथ यादव - मा0 सदस्य अनुपस्थित

क्रम संख्या 55- श्री राम विशुन सिंह

श्री राम विशुन सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

:: यह सभा राजय सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड में एन.एच. 30 सोनवर्षा से देवरठा पथ में सिकरीया राजवाहा में क्षतिग्रस्त पुल का नये सिरे से निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि एन.एच. 30 सोनवर्षा से देवरठा पथ के आरेखन में अवस्थित है, इस पथ का शीर्ष 3054 के अंतर्गत वित्त वर्ष 17-18 में मरम्मती कार्य कराया गया था ।

पथ के आरेखन में सिकरिया रजवाहा में 4 मीटर स्पैन का पूर्व से निर्मित पुल है जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, उक्त स्थान पर पॉच मीटर स्पैन के बौक्स कलभर्ट के निर्माण हेतु टेक्नो फिजिब्लिटी रिपोर्ट की मांग की गयी है तद्नानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री राम विशुन सिंह : ठीक है सर, यह बक्सर और भोजपुर को जोड़ने वाला पुल है मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या 56 - श्री सुबोध राय</u>

श्री सुबोध राय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह ग्रामीण कार्य प्रमंडल, भागलपुर के अंतर्गत सुलतानगंज प्रखंड अवस्थित एन.एच.-80 महेशी चौक से मोतीचक गांव होते हुए कल्याणपुर गांव जो सम्पर्क विहीन है, पथ का निर्माण कार्य करावें ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के निर्माण हेतु एन.एच. 80 पुरानी गौरीचक से कल्याणपुर हाट भाया मध्य विद्यालय मोतीचक के नाम से शीर्ष एम.एम.जी.एस.वाय. योजनान्तर्गत स्वीकृति की प्रक्रिया में है तदोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा अत: उक्त वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुबोध राय : महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रम संख्या 57–श्रीमती गुलजार देवी

श्रीमती गुलजार देवी: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती हे कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित सुन्दरी से बकुआ तक पथ का निर्माण पुल के साथ करे । ''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पथ के आरेखन में उल्लिखित बसावट सुन्दरी को पी.एम.जी.एस.वाय. योजनान्तर्गत निर्माणाधीन पथ से सम्पर्कता प्राप्त होगी पुल स्थल के अपस्ट्रीम में 2 कि.मी. की दूरी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कराया जा रहा है अत: अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है । बकुआटोला को सम्पर्कता के अर्हता की जॉच की जा रही है, अत: माननीय सदस्या से अनुरोध हे कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगी ।

श्रीमती गुलजार देवी : वापस लेती हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्तावा वापस हुआ ।

क्रम संख्यया 58 श्री मनीष कुमार

श्री मनीष कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिला में चांदन नदी का तल काफी नीचे हो जाने के कारण वहॉ के किसानों को सिंचाई सुविधा में हो रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए रुपसा–सिंहनान के बीच चेकडैम का निर्माण करावे । ''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : सभापति महोदय, बांका जिले के रजौन प्रखंड में सिंहनान के निकट चांदन नदी में चेक डैम के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करा लिया गया है । तथा चेक डैम का रुपांकन कार्य कराया जा रहा है । रुपांकित आंकड़ों के आधार पर आलेख तैयार करने के उपरांत चेक डैम निर्माण का विस्तृत योजना प्रतिवेदन मार्च, 2020 तक तैयार किए जाने का लक्ष्य है इसलिए प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री मनीष कुमार : महोदय, माननीय मंत्री का थोड़ा थोड़ा सकारात्मक जवाब है और वे आश्वस्त रहते हैं उसी आश्वासन आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या 59–श्रीमती गायत्री देवी

श्रीमती गायत्री देवी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंडान्तर्गत चांदी रजवाडा गांव में सरकार द्वारा स्वीकृत स्लूईस गेट का निर्माण करावे । ''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, यह लघु जल संसाधन को ट्रांसफर हुआ है ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): लघु जल संसाधन मंत्री जी ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्या को आश्वस्त करता हूं कि हम सकारातमक रुख रखते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे ।

मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्या अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): वापस लीजिये ।

श्रीमती गायत्री देवी : मंत्री जी कुछ जवाब नहीं दिए हैं फिर भी मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या –60 (श्री कुमार सर्वजीत)

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के नगमा ओरैना पईन विगत 25 वर्षों से ध्वस्त है, का जनहित में शीघ्र जीर्णोद्धार करावे । ''

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, गया जिला के फतेहपुर प्रखंड के अंतर्गत नगमा ओरैना आहर पईन का डी.पी.आर. तैयार किया गया है । उक्त योजना का तकनीकी अनुमोदन भी प्राप्त है योजना का कियान्वयन आर.आई.डी. एफ. अंतर्गत कराने हेतु ऋण स्वीकृति के लिए डी.पी.आर. तथा प्रस्ताव 152 योजना के साथ नवार्ड को महोदय भेजा गया है । नवार्ड से ऋण स्वीकृति मिलने पर इस योजना का जीर्णोद्धार कार्य विहित प्रकिया के तहत करा दिया जायेगा ।

श्री कुमार सर्वजीत : सभापति महोदय, हमने एक साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था और माननीय मुख्यमंत्री के सचिवालय के द्वारा विभाग को भेजा गया

था कि इसको कराया जाय । हम प्रस्ताव वापस लेते हैं लेकिन माननीयमुख्य मंत्री सचिवालय का कम से कम जो आदेश है उसको पूरा किय जाय ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या 61 श्री राम देव राय

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत रुदौली एवं महेशपुर बलान नदी पर पुल का निर्माण शीघ्र करावें ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित प्रश्न दो पुलों से संबंधित है नंबर 1- रुदौली बलानर नदी पर पुल इस स्थल पर एम.एम.जी.एस.वाय. योजनान्तर्गत पुल के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है । नंबर 2-' महेशपुर बलान नदी पर पुल इस स्थल पर अवस्थित एक तरफ महेशपुर गांव को पी.एम.जी.एस.वाय. पथ से सम्पर्कता प्राप्त है एवं दूसरे तरफ अवस्थित मुजाहितपुर को एम.एम.जी.एस.वाय. पथ से सम्पर्कता प्राप्त है पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्कोल विचाराधीन है अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

टर्न-12/अंजनी/19.07.19

श्री रामदेव राय : महोदय, चचरी पुल बनाने का आपका प्रस्ताव है, इसलिए इसपर भी ध्यान दीजियेगा और रूदौली को जरा जल्दी कर दीजियेगा । इसी के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी का संकल्प वापस हुआ।

क्रम सं0-62, श्री सुनील कुमार,स0वि0स0

श्री सुनील कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा प्रखंड स्थित डुमरा से कैलाशपुर जाने वाली सड़क में लखनदेई नदी पर क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नई पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल एम0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत पुल निर्मित डुमरा से कैलाशपुर होते हुए बड़हड़वा पथ पर अवस्थित है । उक्त पथ का मरम्मती हेतु बिहार ग्रामीण पथ पुनरीक्षण नीति, 2018 क तहत प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है । क्षतिग्रस्त पुल का टेकनिकल फिजिविलिटी रिपोर्ट संबंधित कार्यपालक अभियंता से मांग की गयी है, तदनुसार अग्रतर कारवाई की जा सकेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुनील कुमार : महोदय, पुल की बहुत आवश्यकता है, इसको कराया जाय, इसी के साथ मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार जी का संकल्प वापस हुआ।

क्रम सं0-63, श्री आबिदुर रहमान, स0वि0स0

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : माननीय सदस्य आबिदुर रहमान के अधिकृत हैं मदन मोहन तिवारी

श्री मदन मोहन तिवारी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के अररिया प्रखंड के चांदनी चौक से जैन धर्मशाला होते हुए, अररिया कोर्ट स्टेशन तक (भाया अररिया प्रखंड कार्यालय) पथ निर्माण विभाग से सड़क का निर्माण करावे ।"

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर पथ अधिग्रहण की नयी नीति का गठन प्रक्रियाधीन है। नयी पथ अधिग्रहण नीति गठन होने के बाद समीक्षोपरांत अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मदन मोहन तिवारी : सभापति महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री आबिदुर रहमान जी का संकल्प वापस हुआ।

क्रम सं0-64, श्री नीरज कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री नीरज कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के हज यात्रियों के तौर पर हिन्दु श्रद्धालुओं को भी मानसरोवर यात्रा के लिए सरकारी स्तर से व्यवस्था करावे ।"

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, अभी फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है लेकिन आगे आनेवाले वक्तों में इसपर विचार किया जायेगा, अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि फिलहाल वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री नीरज कुमार सिंह : सभापति महोदय, देश के लगभग एक दर्जन से ज्यादे राज्यों में मानसरोवर यात्रियों के लिए जो गरीब हिन्दु श्रद्धालु हैं, उनको सुविधा दी जा रही है, जिसका नाम है मध्यप्रदेश, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक तमिलनाडू, उड़ीसा, असम एवं बगल के राज्य झारखंड, इन तमाम राज्यों में पूरे गरीब हिन्दू श्रद्धालुओं के लिए मानसरोवर यात्रा के लिए सरकारी मदद दी जा रही है । महोदय, मैं विशेष तौर पर आग्रह करता हूँ कि इस विन्दु पर अविलंब निश्चित रूप से सोचा जाय । मैं सरकार के आश्वासन के आलोक में अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ।

<u>क्रम सं0-65, श्री अमरेन्द्र कुमार,स0वि0स0</u>

श्री अमरेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड के पंचायत रामपुर खरैया के तिवारी खरैया विद्यालय से करवतही बाजार तक सड़क का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पथ के आरेखन में ग्राम तिवारी खरैया को पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ तिवारी खरैया से कुटबनिया से सम्पर्कता प्राप्त है एवं ग्राम करवतही को पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ सिमरा से कोचायकोट से सम्पर्कता प्राप्त है । इस पथ में अन्य कोई बसावट नहीं होने के कारण यह आरेखन विभाग कोरनेट में नहीं है । पथ निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है, अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : महोदय, मैं वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र कुमार जी का संकल्प वापस हुआ।

क्रम सं0-66, श्री चन्द्रसेन प्रसाद,स0वि0स0

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के इसलामपुर एवं एकंगरसराय प्रखंड मुख्यालय में एक-एक सब्जी मंडी का निर्माण करे।"

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, एकंगरसराय नगर निकाय क्षेत्र में नहीं है, इसलिए संबंधित प्रश्नखंड पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग को वांछित उत्तर प्रतिवेदित देने हेतु पत्रांक 1841 दिनांक 15.7 द्वारा स्थानान्तरित कर दी गयी है । नगर निकाय इस्लामपुर में सब्जी मंडी निर्माण के विषय पर सरकारी वक्तव्य निम्नलिखित है-

शहरी फुटफाथ विक्रेताओं के जीविका संरक्षण एवं विक्रय विनियमन हेतु बिहार राज्य शहरी फुटफाथ विक्रेता जीविका संरक्षण एवं विक्रय विनियमन नियमावली,2017 अधिसूचित कर सभी नगर निकायों को अग्रसर कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जा चुकी है । नियमावली के अनुसार निकाय क्षेत्र के शहरी फुटफाथ विक्रेताओं के लिए व्यापार हेतु वेंडिंग जोन निर्माण का प्रावधान है । वेंडिंग जोन निर्माण हेतु नगर विकास विभाग द्वारा स्थल एवं शहरी फुटफाथ विक्रेताओं को चिंहित कर टाउन वेंडिंग कमिटी, टी0वी0सी0 से प्रस्ताव पारित कराकर विभाग को उपलब्ध कराया जाता है, प्राप्त प्रस्ताव की तकनीकी जांच करने के बाद प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। सम्प्रति नगर पंचायत इस्लामपुर में वेंडिंग जोन निर्माण का प्रस्ताव अप्राप्त है, प्राप्त होने पर इसको देखा जायेगा, इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : सभापति महोदय, इस्लामपुर के लिए तो धन्यवाद है । एकंगरसराय पेंडिंग हो गया, इसको भी कराया जाय, इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रम सं0-67, श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स0वि0स0

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत मनिहारी घाट पर एक यात्री शेड का निर्माण करावे।"

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मनिहारी शहर गंगा नदी के तट पर अवस्थित है और गंगा नदी के किनारे अवस्थित शहरों में आधारभूत संरचना का विकास नमामी गंगे योजना के अधीन किया जाना है । नमामि गंगे योजना भारत सरकार

की शत्-प्रतिशत् वित्त सम्पोषित योजना है । मनिहारी के लिए इस योजना के अधीन एक सिवरेज आई0डी0 योजना ली गयी है, यात्री शेड का निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता होगी । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मनिहारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मनिहारी घाट के आस-पास बिहार सरकार की आम खास भूमि उपलब्ध नहीं है, इसके लिए अंचलाधिकारी, मनिहारी के पत्रांक 2129 दिनांक 13.02.2017 से प्राप्त प्रतिवेदन पत्र के संदर्भ में किया गया है । अतः भूमि की उपलब्धता के आलोक में यात्री शेड के निर्माण पर निर्णय लिया जा सकेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, वहां पर सरकारी जमीन उपलब्ध है, इसी के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रम सं0-68, श्री रामचन्द्र सहनी,स0वि0स0</u>

श्री रामचन्द्र सहनी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के प्रखंड-रामगढ़वा अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एन0एच0-28ए से आर्यानगर तक अधूरे सड़क का निर्माण कार्य को अविलम्ब पूरा करावे ।"

टर्न-13/राजेश/19.7.19

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: सभापति महोदय, अभिस्तावित पथ के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत तैयार कर लिया गया है, जिसकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है, स्वीकृति उपरान्त निविदा की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य कराया जा सकेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रामचन्द्र सहनी: महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से मा0 सदस्य श्री रामचन्द्र सहनी जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 69, श्री वशिष्ठ सिंह, स0वि0स0 ।

श्री वशिष्ठ सिंह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत नगर पंचायत कोचस के मध्य से एन0एच0-30 एवं सासाराम-चौसा पथ गुजरता है, के दोनों तरफ पानी निकासी हेतु नाला का निर्माण करावें ।''

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री: सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कोचस के पत्रांक-297 दिनांक 12.6.2019 द्वारा प्रश्नगत योजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति मांगी गयी थी । नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, कोचस के उक्त पत्र के आलोक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के महाप्रबंधक ने अपने पत्रांक-5945 दिनांक 21.5.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि उक्त परियोजना का डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है अर्थात् योजना डी0पी0आर0 स्टेज में है, अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री वशिष्ठ सिंह: महोदय, कोचस के बीचों-बीच से एक एन0एच0-30 और एक स्टेट हाईवे सड़क पार करती है और उस रोड के चारों किनारे नदी है और पानी का निकासी नहीं होने के कारण पूरे कोचस का हाल नरकीय बना हुआ है । इसलिए महोदय, हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि इसको शीघ्र करा दें, इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से मा0 सदस्य श्री वशिष्ठ सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या: 70, श्री रामप्रीत पासवान, स0वि0स0 ।

श्री रामप्रीत पासवान: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराटाढ़ी में कमला नदी के पूर्वी बॉध को गॉव रखवारी से पिपराघाट तक 08 कि0मी0 बॉध का पक्कीकरण करावें ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: सभापति महोदय, वस्तुसस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराटाढ़ी प्रखंड में कमला नदी के पूर्वी बॉध के गॉव रखवारी से पिपराघाट के तटबंध के टॉप पर ब्रीक सोलिंग कार्य हुआ है, जो दिनांक 14.7.2019 को

कमला बलान नदी में आये अप्रत्याशित जलश्राव के कारण रखवारी गॉव के पास क्षतिग्रस्त हो गया । बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर तटबंध के क्षतिग्रस्त भाग को ब्रीक सोलिंग सहित पुर्नस्थापित किया जा रहा है । मुख्य अभियंता, समस्तीपुर को विभागीय पत्रांक-2424 दिनांक 19.7.2019 द्वारा कमला नदी के पूर्वी गॉव को रखवारी से पिपराघाट बॉध के पक्कीकरण का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है ।

श्री रामप्रीत पासवान: बहुत-बहुत बधाई । मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से मा0 सदस्य श्री रामप्रीत पासवान जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या: 71, श्रीमती बेबी कुमारी, स0वि0स0 ।

श्रीमती बेबी कुमारी: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर में स्थित एस0के0एम0सी0एच0 को एम्स का दर्जा दिलाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करें ।''

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री- महोदय, सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को राज्य के एम्स के स्वरुप में दूसरे संस्थान की स्थापना एवं विकसित करने हेतु केन्द्र सरकार को संसूचित की गयी है । अत: मैं माननीय सदस्या से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्रीमती बेबी कुमारी: महोदय, मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेती हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से मा0 सदस्या श्रीमती बेबी कुमारी जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य को उच्च सदन में जाना है, उनको एक और संकल्प संख्या-104 का उत्तर देना है, अगर आपलोग सहमत हो तो क्रमांक-104 को ले लिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

क्रम संख्या: 104, श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव, स0वि0स0 ।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत हिलसा अनुमंडल में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण करावें ।''

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री- महोदय, नालंदा जिला में पॉच वर्ष पूर्व ही 640 बेड का वर्तमान आर्युविज्ञान संस्थान, अस्पताल, पावापुरी में स्थापित किया गया है, साथ ही पटना के समीपवर्ती जिला होने के कारण यहॉ के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों की सुविधा भी यहॉ के लोगों द्वारा सहज उठायी जा सकती है । सम्प्रति राज्य सरकार द्वारा अनुमंडलवार चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव: महोदय, यह सवाल तो हमको पूछना भी नहीं था, चूंकि यह सरकारी वक्तव्य नहीं था, इसलिए पूछे, क्योंकि गैर सरकारी था । चूंकि यह निकटवर्ती इलाका है, पूरा पटना जिला और इधर बख्तियारपुर का जो इलाका है.....

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): माननीय सदस्य, आप वापस लीजिये ।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव: महोदय, वापस तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वह तो हो ही जायेगा लेकिन हमारा आग्रह होगा कि वे वहॉ पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण करावें, इसी के साथ मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से मा0 सदस्य श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या: 72, श्री मुद्रिका प्रसाद राय, स0वि0स0 ।

श्री मुन्द्रिका प्रसाद राय: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड स्थित रामकोला कृषि फॉर्म में चीनी मिल की स्थापना करावें ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: महोदय, माननीय मंत्री जी कौंसिल में है ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): ठीक है ।

क्रम संख्या: 73, श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन, स0वि0स0 ।

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जंक्शन एवं कर्पूरीग्राम जंक्शन के बीच जिला मुख्यालय में अवस्थित भोला टॉकिज चौक के निकट आर0ओ0बी0 संख्या-53 ए का निर्माण शीघ्र करावें ।''

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि संकल्पाधीन आर0ओ0बी0 का जी0ए0डी0 तैयार कर प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा डी0आर0एम0 समस्तीपुर को भेजा गया है । रेलवे से जी0ए0डी0 की स्वीकृति के उपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जायगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

महोदय, मैंने अपने बजट भाषण में जिस बात की चर्चा की थी 53 आर0ओ0बी0 की, उस 53 आर0ओ0बी0 की सूची में यह आर0ओ0बी0 शामिल है, इसलिए हम प्रतिबद्ध है कि इसके लिए आगे काम करेंगे ।

श्री अख्तारुल इस्लाम शाहीन: माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): यह तो हो गया । सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री अख्तारुल इस्लाम शाहीन जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या: 74, श्री विनोद प्रसाद यादव, स0वि0स0 ।</u>

श्री विनोद प्रसाद यादव: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत शेरघाटी अनुमंडल को जिला का दर्जा प्रदान करें ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, राज्य में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल में पुर्नरीक्षण हेतु मंत्रियों के समूहों का गठन माननीय उप-मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है, साथ ही मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु सचिवों की समिति गठित है । समिति के सचिव द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों के पुर्नगठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है । प्रस्ताव भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों से अनुरोध किया गया है । अत: अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्री विनोद प्रसाद यादवः महोदय, शेरघाटी बहुत ही बड़ा अनुमंडल है और विधि व्यवस्था के लिहाज से वहॉ पर यह झारखंड बोर्डर पर अवस्थित है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि वे इसपर विचार करने की कृपा करेंगे और इसी के साथ मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से मा0 सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि को विस्तारित की जाती है ।

टर्न-14/सत्येन्द्र/19-7-19

क्रम संख्या-75 (श्री अवधेश सिंह, स0वि0स0)

श्री अवधेश सिंहः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला सहित पूरे राज्य के छात्र-छात्राओं को प्राथमिक विद्यालय से 10+2 तक की पढ़ाई सहित आवासन एवं भोजन की पूरी व्यवस्था निःशुल्क करावें ।''

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः सभापति महोदय, बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के तहत राज्य सरकार द्वारा 6-14 उम्र के बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक लेखन सामग्री एवं पोशाक सहित निःशुल्क पढ़ाई तथा मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है । विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले अभिबंचित वर्ग के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के बालिकाओं को वर्ग-6 से 8 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रखंड में कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है जिसमें पढ़ाई सहित आवासन एवं भोजन की पूरी व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अवधेश सिंहः सभापति महोदय, बजट का बहुत बड़ा पार्ट शिक्षा विभाग पर जाता है..

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 76 (श्री अभय कुमार सिन्हा, स0वि0स0)

सभापतिः विनोद प्रसाद यादव जी प्राधिकृत हैं ।

श्री विनोद प्रसाद यादवः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला अन्तर्गत टिकारी प्रखंड के अति जर्जर प्रखंड कार्यालय भवन को तोड़कर नया प्रखंड कार्यालय भवन का निर्माण करावें ।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्रीः सभापति महोदय, इतना महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं । गैर सरकारी संकल्प में माननीय सदस्य पूछते हैं तो माननीय सदस्य को खुद भी उपस्थित रहना चाहिए, कौन सी ऐसी अरजेंसी हो गयी कि माननीय सदस्य पूछने के लिए सदन में आज नहीं है ।

सभापति महोदय, गया जिलान्तर्गत टिकारी प्रखंड का कार्यालय भवन काफी पुराना एवं जीर्णशीर्ण है । राज्य सरकार के सभी नवसृजित एवं पुराने वैसे प्रखंड जो जीणशीर्ण हो चुके हैं, उनके कार्यालय एवं आवासीय भवन तथा परिसर विकास के लिए सरकार कृत संकल्पित है। अबतक 77 प्रखंडों के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है । इसी क्रम में 101 प्रखंड में आधारभूत संरचना की उपलब्धता हेतु प्रखंड सूचना प्रोद्योगिकी केन्द्र का भी निर्माण कराया जा रहा है । शेष प्रखंडों को चरणबद्ध तरीके से प्रखंड कार्यालय एवं आवासीय भवन तथा परिसर विकास कराने की सरकार की योजना है । प्राथमिकता के आधार पर गया जिला के टेकारी प्रखंड को अगले चरण में शामिल किया जा सकेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विनोद प्रसाद यादवः वापस लेते हैं ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 77 (श्री शाहनवाज, स0वि0स0)

अनुपस्थित

क्रम संख्या-78(श्रीमती लेशी सिंह, स0वि0स0)

श्रीमती लेशी सिंहः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियां जिलान्तर्गत धमदाहा प्रखंड के मोगलिया पुरन्दाहा पूर्व पंचायत अधीन

बग्घी बरैना ग्राम के निकट धनुकीधार तथा के0 नगर प्रखंड अधीन के0 नगर प्रखंड मुख्यालय से पूरब झौआटी धार पर पुल निर्माण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पुलों से संबंधित है । (1) धमदाहा प्रखंड के मोगलिया पुरन्दाहा पूर्व पंचायत अधीन बग्घी बरैना ग्राम के निकट धनुकीधार पर पुल निर्माण कार्य, अभिस्तावित पुल के एक तरफ अवस्थित बग्घी बरैना बसावट को शीर्ष जी0टी0एस0एन0वाई0 अन्तर्गत निर्मित बग्घी बरैना से पकड़िया पथ से सम्पर्कता प्राप्त है एवं दूसरे तरफ अवस्थित सिहली यादव टोला को शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत टी-02 से हरिजन टोला पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित पुल के दोनों तरफ के बसावटों को सम्पर्कता प्राप्त होने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके निर्माण का तत्काल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (2) के0 नगर प्रखंड अधीन के0 नगर प्रखंड मुख्यालय से पूरब झौआटी धार पर पुल निर्माण, अभिस्तावित पुल एन0एच0-157 के0 नगर थाना के निकट से रेलवे क्रॉसिंग होते हुए बनभागा होते हुए बेगमपुर तक कच्ची सड़क के आरेखन पर काली कोशी नदी पर अवस्थित है । बेगमपुर बसावट को पूर्व से निर्मित मनभागा एम0डी0आर0 से करीम नगर पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । उच्च कच्ची सड़क के आरेखन में कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया है । अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन है । अत: उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) वापस लीजिये ।

श्रीमती लेशी सिंह: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहती हूँ कि सरकार का लक्ष्य भी है कि 6 घंटा में बिहार के किसी कोने से, किसी गांव से राजधानी पहुंचने का और तीन पंचायत सरसी, चम्पावती, मोगलिया पुरन्दाहा पंचायत का आवागमन धनुकीधार में पुल बन जाने से अनुमंडल मुख्यालय.....

सभापति:(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) वापस लीजिये ।

श्रीमती लेशी सिंह: सभापति महोदय, तब तो कोई प्रस्ताव लाने का कोई औचित्य नहीं था । बात तो रखने दिया जाय । तीनों पंचायत का आवागमन, अनुमंडल मुख्यालय में जाने के लिए पुल का बनना अति आवश्यक है । मैं माननीय मंत्री जी से पुन: विचार करने के लिए आग्रह करती हूँ और के0 नगर प्रखंड में जो झौआटी पुल की बात कही है, उस पुल के भी बन जाने से कई पंचायतों का आवागन और

दो प्रखंड का जुड़ाव हो जायेगा के0 नगर का श्रीनगर प्रखंड का और धनुकीधार पुल के लिए माननीय मंत्री जी ने चेकलिस्ट का भी मांग किये है इसलिए इसका औचित्य है और विभाग ने औचित्य भी समझा है तो माननीय मंत्री जी को विचार करने के लिए आग्रह करती हूँ और प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या-79 (श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह,स0वि0स0)</u>

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सिवान जिला के गोरेयाकोठी विधान-सभा क्षेत्र के गोरेयाकोठी में कर्मयोगी नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय के 1 बीघा 16 कट्ठा जमीन अवैध कब्जा कर निजी नारायण गुरूकुल का भवन बनाकर निजी विद्यालय संचालित की जा रही है , कर्मयोगी नारायण उ0मा0वि0, गोरेयाकोठी के भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त करावें ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिला के गोरेयाकोठी विधान-सभा क्षेत्र के गोरेयाकोठी में कर्मयोगी नारायण उ0मा0वि0 के जमीन से अवैध कब्जा हटाने हेतु अंचल कार्यालय, गोरेयाकोठी द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या 03/2018-19 संधारित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है । प्रपत्र-2 भी निर्गत किया गया । इसी बीच नारायण गुरूकूल के संस्थापक श्री देवेशकान्त सिंह द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, पटना में उक्त अतिक्रमण वाद के विरूद्ध सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या- 5887/2019 दायर किया गया । माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 18-6-19 को उक्त वाद में आदेश पारित किया गया है जिसमें अंचल अधिकारी गोरेयाकोठी द्वारा अतिक्रमण वाद में पारित आदेश को निरस्त कर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत नये सिरे से सुनवाई करते हुए आदेश पारित करने को निदेशित किया गया है । उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: सभापति महोदय,नारायण...

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): वापस लीजिये ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: सुना जाय, मेरी बात सुन लिया जाय, उसके बाद तो हम वापस करेंगे कि क्या करेंगे बाद में बताऊंगा, मेरी बात को सुना जाय ।

नारायण उ0मा0 वि0 जो है, 1916 में स्थापित किया गया । उसको 11 बीघा 4 कटठा जमीन निबंधित है जिसमें 5 एकड़ दूसरे विभाग को लिख दिया गया है, 16 कट्ठा दूसरे छात्रावास को लिखा गया है और 1 बीघा 16 कट्टा जबर्दस्ती पकड़कर उसमें गुरूकुल विद्यालय चलाया जा रहा है । सरकार द्वारा तीन वार भवन बनाने के लिए राशि दिया गया लेकिन जमीन के अभाव में पैसे वापस हो गये हैं । यह 1916 के विद्यालय..

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): वापस लीजिये ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: मेरी बात सुन लिया जाय ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): वापस लीजिये ।

श्री सत्येदव प्रसाद सिंह: मेरी बात सुन लिया जाय ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सिवान जिला के गोरेयाकोठी विधान-सभा क्षेत्र के गोरेयाकोठी में कर्मयोगी नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय के 1 बीघा 16 कट्ठा जमीन अवैध कब्जा कर निजी नारायण गुरूकुल का भवन बनाकर निजी विद्यालय संचालित की जा रही है, कर्मयोगी नारायण उ0मा0वि0, गोरेयाकोठी के भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त करावें ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: मैं इससे बहुत खुश हूॅ कि सरकार असलियत को छोड़कर ....

क्रम संख्या-80 (श्री दिनकर राम,स0वि0स0)

(अनुपस्थित)

क्रम संख्या- 81 (श्री सुदामा प्रसाद, स0वि0स0)

श्री सुदामा प्रसाद: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत सरफोरा से धमना गुदनडीह, मिश्रकर्मा, हरनाथडीह, परसिया,अमहरूआ, शहरडीह, डिहरा, अधौरा होते हुए मुंजी (काराकाट रोहतास)तक लगभग 10 मि0मी0 दूरी तक नई नहर का निर्माण करावें ।''

टर्न–15/मधुप/19.07.2019

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : सभापति महोदय, पश्चिमी सोन नहर प्रणाली अन्तर्गत डुमराव शाखा नहर के 18.40 कि0मी0 से नि:सृत लघु नहर करहा, जो वर्तमान में 2.75 कि0मी0 की लम्बाई में मुंजी तक निर्मित है, को मुंजी से सरफोरा तक विस्तारित किये जाने का संकल्पाधीन प्रस्ताव है ।

सोन नदी पर निर्मित इन्द्रपुरी बराज पर जल की उपलब्धता के अनुसार पूर्वी सोन नहर प्रणाली से औरंगाबाद, गया, अरवल एवं पटना जिले के 1,56,036 हेक्टेयर तथा पश्चिमी सोन नहर प्रणाली से रोहतास, कैमूर, भोजपुर एवं बक्सर जिले के 5,42,418 हेक्टेयर कृष्ण कमांड क्षेत्र में पटवन किया जाता है । सोन नदी अवस्थित इन्द्रपुरी बराज पर जल की सीमित उपलब्धता एवं इसके आधार पर निर्मित पूर्वी एवं पश्चिमी नहर प्रणालियों के निर्धारित कमांड क्षेत्र को देखते हुये डुमराव शाखा नहर के कि0मी0 18.40 से नि:सृत लघु नहर का विस्तारीकरण तकनीकी रूप से संभाव्य नहीं है। रोहतास जिला के नौहट्टा प्रखंड में सोन नदी पर इन्द्रपुरी जलाशय का निर्माण प्रस्तावित है । इन्द्रपुरी जलाशय में जल की उपलब्धता का आकलन कर प्रश्नगत नहर के विस्तारीकरण पर विचार किया जायेगा ।

श्री सुदामा प्रसाद : धन्यवाद । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या–82 : श्री केदार प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0</u>

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह अधिकृत हैं ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कुढ़नी प्रखंड के 14 पंचायत अलग कर मनियारी को प्रखंड का दर्जा प्रदान करे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मनियारी को प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में विभाग को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । उक्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रस्ताव को सचिवों की समिति के विचारार्थ रखा जाना है । तदुपरांत समिति के द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव को मंत्रियों के समूह के समक्ष

विचारार्थ रखा जायेगा, जिसके अनुशंसा के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सरकार के सकारात्मक एवं अनुकूल जवाब के आलोक में मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ धन्यवाद देते हुये ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-83 : श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी, स0वि0स0

श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिलान्तर्गत सिकंदरा प्रखंड के सिकंदरा पंचायत, नगर पंचायत बनने हेतु सभी अर्हताएँ पूरी करता है, को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करें ।''

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : सभापति महोदय, जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक-1871 दिनांक- 20.12.2017 द्वारा जमुई जिलान्तर्गत सिकंदरा प्रखंड के सिकंदरा पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा देने हेतु प्रस्ताव विचारण हेतु प्राप्त है ।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-3(ग) में यह प्रावधान है कि छोटे शहर अर्थात् नगर पंचायत की दशा में उक्त क्षेत्र की जनसंख्या 12 हजार और उससे अधिक 40 हजार से कम होगी, उक्त प्रावधान के परन्तुक में यह प्रावधान है कि उस क्षेत्र के गैर-कृषि जनसंख्या कुल जनसंख्या का 75 प्रतिशत या उससे अधिक होगी, इस मामले में समरूप नगर पंचायत हरनौत के गठन के विरूद्ध दायर याचिका CWJC सं0 9108/2017 विजय कुमार सिन्हा बनाम राज्य एवं राज्य के अन्य, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा नगर पंचायत गठित गैर-कृषि जनसंख्या में शामिल अवयवों को स्पष्ट करने के आदेश दिया गया है । नगर विकास के क्षेत्र गठन के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अन्य राज्यों की इस संबंध में प्रावधानों का अध्ययन कर वर्तमान प्रावधानों को संशोधित करने पर विचार किया जा रहा है । तदुपरांत निर्धारित अर्हता पूर्ण करने के उपरांत जमुई जिला के सिकंदरा पंचायत को नगर पंचायत क्षेत्र के रूप में घोषित करना संभव हो सकेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी : धन्यवाद । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-84 : श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, स0वि0स0

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखंड के डेमा पंचायत के मुशहरी गाँव के सामने पुरानी बागमती नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ बलहा मुशहरी बसावट का एक भाग है जिसको पी0डब्लू0डी0 पथ से सम्पर्कता प्राप्त है एवं दूसरी तरफ बलहा मुशहरी बसावट का दूसरा भाग अवस्थित है जिसके सीमान पर पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ निर्मित है । पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखण पर नही है । पुल स्थल के अप-स्ट्रीम में 2 कि0मी0 पर पुल निर्मित है एवं डाउन-स्ट्रीम में मात्र 1 कि0मी0 पर पुल निर्माणाधीन है । पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : महोदय, हर साल बाढ़ और बरसात में पुल नहीं रहने के कारण दुर्घटना होती रहती है । दो दिन पहले 18 वर्ष का लड़का नदी पार करने में डूबकर मर गया है। 14 सितम्बर, 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी जनहित में पुल निर्माण का घोषणा किये थे लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : प्रस्ताव वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : माननीय मंत्री जी कुछ बोलते । मैं प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-85 : श्री विद्या सागर केशरी, स0वि0स0

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी जी अधिकृत हैं ।

श्री राजू तिवारी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के नगर पंचायत जोगबनी बाजार की मुख्य सड़क जो मीरगंज से जोगबनी बॉर्डर पथ तक जाती है, का नवनिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण करावे ।''

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री : महोदय, संकल्पाधीन पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु प्राक्कलन चीफ इंजीनियर, सीमांचल प्रभाग को प्राप्त हो गया है । अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री राजू तिवारी : धन्यवाद, मंत्री महोदय । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 86 : श्री मो0 तौसीफ आलम, स0वि0स0

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अनुपस्थित ।

क्रम संख्या- 87 : डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के सोनपुर प्रखंडान्तर्गत दियारा इलाका-पहलेजा, गंगाजल, शाहपुर दियारा, नजरमीरा, सबलपुर चारों पंचायत आदि को गंगा नदी से प्रति वर्ष बाढ़ एवं कटाव से मुक्ति दिलाने हेतु पहलेजा घाट से गंगाजल-सबलपुर होते हुए हरिहरनाथ मंदिर तक रिंग बांध का निर्माण करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत सोनपुर प्रखंड के दियारा इलाका यथा- पहलेजा, गंगाजल, शाहपुर दियारा, नजरमीरा, सबलपुर चारों पंचायत, स्थल गंगा नदी एवं गंडक नदी के मिलन बिन्दु के पास अप-स्ट्रीम में अवस्थित है । प्रश्नगत सभी स्थलों के पास विगत बाढ़,2017

एवं बाढ़,2018 अवधि में कोई कटाव परिलक्षित नहीं हुआ है । वर्तमान में दिनांक- 19.07.19 को 10 बजे पूर्वाह्न तक उक्त सभी स्थल सुरक्षित है । बाढ़ अवधि में कटाव परिलक्षित होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है । स्थल पर सतत निगरानी एवं चौकसी बरती जा रही है । वर्तमान स्थलीय स्थिति के आलोक में पहलेजा घाट से गंगाजल-सबलपुर होते हुये हरिहरनाथ मंदिर तक रिंग बांध निर्माण कराने का प्रस्ताव नहीं है ।

फिर भी, विभागीय पत्रांक-2383 दिनांक- 16.07.2019 द्वारा मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, गोपालगंज को प्रश्नगत रिंग बांध के निर्माण कराये जाने की तकनीकी संभावना का अध्ययन करने हेतु निदेशित किया गया है । इस आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करते हुये धन्यवाद देता हूँ कि यथाशीघ्र इसको करावें । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-16/आजाद/19.07.2019

<u>क्रम सं0-88 : श्री चंदन कुमार,स0वि0स0</u>

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : श्री चंदन कुमार का संकल्प है, इसके लिए अधिकृत हैं माननीय सदस्य श्री सुबेदार दास ।

श्री सुबेदार दास : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया सदर प्रखंड में खगड़िया-बखरी पी0डब्लू0डी0 पथ बेला से रानी शकरपुरा पथ अत्यंत जर्जर है, का निर्माण करावें । ''

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि संकल्पाधीन पथ परिहार राज से इमली रेलवे स्टेशन होते हुए कोनिया के नाम से पथ निर्माण विभाग में अधिगृहित है । वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्य योजना में यह प्रस्तावित है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री सुबेदार दास : बहुत,बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रम सं0-89 : श्री राजेन्द्र कुमार, स0वि0स0

श्री राजेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के प्रखंड हरसिद्धि में पंचायत बैरियाडीह के कौवाहॉ धनवती पर पुराना ध्वस्त पुल का पुनर्निर्माण करावें । ''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल विभागीय मार्ग रेखांकन पर नहीं है । पुल स्थल के अपस्ट्रीम में लगभग 6 कि0मी0 पर एवं डाऊनस्ट्रीम में लगभग 3 कि0मी0 पर पुल पूर्व से अवस्थित है । पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, दो प्रखंड को जोड़ने वाली यह पुल है और पहले से बना हुआ था, टूट करके जर्जर स्थिति में है । इसलिए आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि पुनर्विचार करेंगे और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रम सं0-90 : श्री सत्यनारायण सिंह,स0वि0स0

श्री सत्यनारायण सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पर्यावरण संतुलन बरकरार रखने हेतु राज्य में पीपल के पेड़ को संरक्षित पेड़ की श्रेणी में रखकर इसके काटने एवं तोड़ने पर रोक लगावे ।''

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, राज्य सरकार पर्यावरण संतुलन बरकरार रखने में पेड़ों के महत्वपूर्ण योगदान एवं उनकी कटाई से होने वाले अपूरणीय क्षति एवं उसके विध्वंशकारी परिणामों से परिचित हैं और इसके बचाव के लिए संकल्पित हैं । सरकार के स्तर पर विभिन्न अधिनियमों, नियमों एवं सरकारी निर्देशों के

माध्यम से पेड़ों की कटाई को रोकने एवं उससे होने वाले दुष्परिणामों को नियंत्रित करने के प्रयास किये गये हैं । रोड, भवन आदि के निर्माण में भी पेड़ों की कटाई को यथासंभव कम से कम करने हेतु संकल्प सं0-43 दिनांक 3.3. 2014 के द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं । सरकार के स्तर पर यह भी निर्णय लिया जा रहा है कि रोड चौड़ीकरण आदि में भी पेड़ों को काटने के बजाय उन्हें स्थानान्तरित ही किया जाय । पीपल समेत सभी वृक्षों को पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान है । सरकार के द्वारा पीपल सहित सभी पेड़ों को संरक्षित किया जाता है ।

सभापति महोदय, केवल पीपल नहीं सभी तरह के पेड़ों को संरक्षित कर रहे हैं । इसलिए कोई एक पेड़ को संरक्षित करने का सवाल नहीं है। पीपल सहित जितने प्रकार के पेड़ हैं, उनको सरकार संरक्षित करने का प्रयास कर रही है और अब तो सरकार यह भी निर्णय लेने जा रही है कि रोड के चौड़ीकरण के लिए भी पेड़ों की कटाई नहीं होगी बल्कि पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया जायेगा । आज ही अखबार में देखा होगा, माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग मौजूद थे , ये जो दीघा,आर-ब्लॉक सड़क बन रही है, उसके बड़े-बड़े पेड़ों को उखाड़ कर उसे नये जगह पर स्थापित किया जा रहा है । इसलिए पीपल सहित सभी तरह के पेड़ों को सरकार संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

श्री सत्यनारायण सिंह : सभापति महोदय, हमारा पीपल से इसलिए था ...

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : वापस लीजिए ।

श्री सत्यनारायण सिंह : सभापति महोदय, सुन लिया जाय । पीपल ही ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है और बल्कि हमारे समाज के पुरखों ने भी पीपल में पानी डालने का, हर पत्ते पर भगवान वास करते हैं, यह बताने का काम किया । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से, ऐसे तो सब पेड़ लेकिन पीपल से था, ऐसे तो सरकार का सकारात्मक ही सोच है । इसलिए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रम सं0-91 : श्री समीर कुमार महासेठ</u>

श्री समीर कुमार महासेठ : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु स्नातक की परीक्षा

में उत्तीर्णता के लिए सरकार द्वारा निर्धारित भूमि पर कम से कम पांच पौधे लगाने की अनिवार्यता की नीति बनावे ।''

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : सभापति महोदय, प्रस्तुत संकल्प के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट पेटीशन सिविल सं0-860/1991 में दायर आई0ए0 सं0-7/2016 में 6.3.2017 में पारित न्यायादेश में सभी विश्वविद्यालयों में पर्यावरण विज्ञान संबंधी पाठ्यक्रम लागू किया जाना है । विभागीय पत्रांक-995 दिनांक 15.5.2017 द्वारा न्यायादेश के आलोक में कार्रवाई करने का निदेश सभी विश्वविद्यालय को दिया जा चुका है । विद्यार्थियों को स्नातक की योग्यता प्राप्त करने हेतु वृक्षारोपण जैसी किसी भी प्रकार की शर्त्त लगाये जाने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अत: अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : सभापति महोदय, हम तो उम्मीद करते थे, अभी 13 तारीख को जलवायु परिवर्तन पर बैठक भी हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिन्तित हैं और यह भी उसी की कड़ी है । जलवायु परिवर्तन का मामला हो या प्रदूषण पर नियंत्रण हो या वर्षापात के माध्यम से भूजल रिचार्ज का मामला हो, सभी मामले में पेड़ों की सर्वाधिक भूमिका है । यह प्रावधान किये जाने से पर्यावरण के प्रति हमारे बच्चे जिम्मेवार होंगे, अपने पीढ़ियों को सुरक्षित कर पायेंगे, इसलिए मैंने यह प्रस्ताव लाया था तो हम चाहेंगे कि इसपर वोटिंग हो जाय तो ज्यादा बेहतर है ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : वापस लीजिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, हम वापस क्यों लेंगे, एक तरफ सरकार की सोच है और 13 तारीख की बैठक की गई और इसको मूर्त रूप देने में दिक्कत आ रही है तो इसलिए हम वापस नहीं लेंगे सर ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए सरकार द्वारा निर्धारित भूमि पर कम से कम पांच पौधे लगाने की अनिवार्यता की नीति बनावे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

क्रम सं0-92 : श्री राजू तिवारी,स0वि0स0

श्री राजू तिवारी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चवम्पारण जिलान्तर्गत अरेराज पी0डब्लू0डी0 सड़क से बिंदवलिया होते हुए संग्रामपुर तक ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क काफी जर्जर है, का पथ निर्माण विभाग में अधिगृहित करते हुए पथ का जीर्णोद्धार करावें । ''

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री : महोदय, पुराने पथ अधिग्रहण की नीति की समीक्षा कर पथ अधिग्रहण की नई नीति का गठन प्रक्रियाधीन है । नये पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें।

श्री राजू तिवारी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रम सं0-93 : श्री मुजाहिद आलम,स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम सं0-94 : श्री नौशाद आलम,स0वि0स0

श्री नौशाद आलम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला में किशनगंज शहर से दिघलबैंक एवं गलगलिया तक बिहार राज्य परिवहन निगम की बस सेवा प्रारंभ करावें ।''

श्री संतोष कुमार निराला : सभापति महोदय, किशनगंज से दिघलबैंक एवं गलगलिया तक बस परिचालन के संबंध में रूट सर्वे कराने हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक, पूर्णिया को आदेश दिया गया है। रूट सर्वे के पश्चात् प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री नौशाद आलम : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रम सं0-95 : श्री अशोक कुमार सिंह(203),स0वि0स0

श्री अशोक कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास एवं कैमूर जिला से गुजरने वाली गारा एवं करगहर राजबाहा के नहर का पक्कीकरण(लाईनिंग) करावें ।''

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : सभापति महोदय, सोन नहर प्रणाली अन्तर्गत पश्चिमी मुख्य नहर के 30.80 कि0मी0 से निस्सरित गारा चौबे शाखा नहर का रूपांकित कृषि कमान क्षेत्र 13836 हेक्टेयर है, जिसके विरूद्ध खरीफ 2018 में 13505 हेक्टेयर में पटवन कराया गया है । गारा चौबे में शाखा नहर के 12.40 कि0मी0 से निस्सरित करगहर वितरणी का रूपांकित कृषी कमान क्षेत्र 12713 हेक्टेयर है, जिसके विरूद्ध खरीफ 2018 में 11650 हेक्टेयर में पटवन कराया गया है । उक्त स्थिति में तकनीकी आर्थिक संभाव्यता के आलोक में गारा चौबे शाखा नहर एवं इससे निस्सरित करगहर वितरणी के पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निदेश विभागीय पत्रांक-815 दिनांक 28.6.2019 द्वारा मुख्य अभियंता, सिंचाई, सृजन, डिहरी को दिया गया है ।

इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, माननीय मंत्री को धन्यवाद देते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

टर्न-17/शंभु/19.07.19

क्रम सं0-96, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव,स0वि0स0

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला अन्तर्गत मेहसी प्रखंड के धपहर सिवान से इसमईला गांव होते हुए नोनीमल चौक तक सड़क निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पथ का इसमईला ग्राम धपहर से सिवान के पास पी0एम0जी0एस0वाइ0 पथ से जुड़ा है एवं नोनीमल गांव आर0सी0डी0 पथ पर अवस्थित है । इसका आरेखन राज्य के किसी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो गांव है बहुत बड़ा गांव है और 5 कि0मी0 कच्ची सड़क है । मैं आग्रह करूँगा कि कोर नेटवर्क में जुड़वाकर इस रोड को करवाने की कृपा करेंगे । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-97, श्री अब्दुस सुबहान,स0वि0स0

श्री अब्दुस सुबहान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिलान्तर्गत डगरूआ प्रखंड के एन0एच0 31 डगरूआ से प्रधानमंत्री सड़क मझवा तक की पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करावे।

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर पथ अधिग्रहण की नयी नीति प्रक्रियाधीन है । नयी पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अब्दुस सुबहान : इस सड़क को भी प्रस्ताव में शामिल कर लीजिए । ठीक है, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-98, श्री मो0नवाज आलम,स0वि0स0

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत आरा शहरी क्षेत्र, धर्मन चौक से अबरपुर, वलीगंज होते हुए धरहरा तक सड़क मरम्मति कार्य शीघ्र करावे ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि संकल्प में वर्णित योजना का प्राक्कलन नगर निगम आरा द्वारा तैयार किया जा रहा है । प्राक्कलन विभाग में प्राप्त होने के उपरांत राशि की उपलब्धता के आलोक में योजना की स्वीकृति पर निर्णय लिया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मो0नवाज आलम : महोदय, लगभग 9 सड़क है आरा नगर निगम की और उसमें यह लाइफलाइन सड़क है । महोदय, इससे पूरे शहर की जाम की समस्या दूर होगी। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि एक सप्ताह में इस्टीमेट बनाकर पूरा कर दें, चूंकि पूरा गाड़ी, आवागमन बंद है । वह मेन लाइफलाइन रोड है, इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि उसको जल्द से जल्द एक सप्ताह में मरम्मति करा दें ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : प्रस्ताव वापस लिये ?

श्री मो0नवाज आलम : जी वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम सं0-105, श्रीमती एज्या यादव,स0वि0स0</u>

(मा0स0श्री समीर कुमार महासेठ प्राधिकृत)

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला अन्तर्गत पटोरी प्रखंड के उत्तरी धमौन के सिंघिया नहर में पुल निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुलिया मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अन्तर्गत प्रश्नाधीन पथ के रेखांकन पर अवस्थित है । उक्त पुलिया का प्रावधान प्राक्कलन में सम्मिलित है । जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही पुलिया का निर्माण करा लिया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : जी वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-99, श्री अजीत शर्मा,स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम सं0-100, श्री संजय सरावगी,स0वि0स0

श्री संजय सरावगी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में नगर निकाय चुनाव की तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण हेतु पंचायती राज चुनाव में भी दो बच्चों से अधिक के माता-पिता को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगावे ।''

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : महोदय, वर्तमान में जनसंख्या नियंत्रण हेतु पंचायत चुनाव में दो बच्चों से अधिक के माता-पिता को चुनाव लड़ने पर रोकने के संबंध में बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 में कोई संशोधन प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, एक मिनट आपका संरक्षण चाहेंगे कि जनसंख्या विस्फोट क्या है और कितना हो रहा है, इसी सदन में आप भी सदस्य थे, मतलब उस समय थे पहले हम सबलोग थे । इसी सरकार में नगर निकाय के लिए बिल आया था और पंचायती राज विभाग ने भी बिल लाया था, लेकिन विपक्ष के एक माननीय सदस्य जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उन्होंने उस बिल पर आपत्ति कर दी जिसके कारण वह बिल वापस ले लिया गया । सभापति महोदय, जनसंख्या विस्फोट केवल अल्पसंख्यक समाज के लिए नहीं है और यह नियम जो मैं बोल रहा हूँ पंचायती राज विभाग जो है यह कानून लावे । यह अल्पसंख्यक समाज या बहुसंख्यक समाज सबपर है इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा और सरकार से भी अनुरोध करूँगा।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब वापस लीजिए ।

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, बस एक मिनट । मैं अनुरोध करूँगा कि जनसंख्या विस्फोट इतनी आबादी जो बढ़ रही है, ऐसा जरूर आना चाहिए । मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सरकार इसपर गंभीरता से सोचे और मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-101, श्री उमेश सिंह कुशवाहा,स0वि0स0

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के जन्दाहा प्रखंड के जन्दाहा एवं अरनिया पंचायत को मिलाकर जन्दाहा पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिलावे ।''

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : सभापति महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-3 के आलोक में सभी जिला पदाधिकारियों से नगर निकाय के रूप में गठित होनेवाले क्षेत्र का प्रतिवेदन की मांग की जा रही है । बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-3(ग) में यह प्रावधान है कि छोटे शहर अर्थात् नगर पंचायत की दशा में उक्त क्षेत्र की जनसंख्या 12 हजार और उससे अधिक 40 हजार से कम होगी, उक्त प्रावधान में यह भी प्रावधान है कि उक्त क्षेत्र को गैर कृषि जनसंख्या कुल जनसंख्या का 75 प्रतिशत या उससे अधिक होगी । इस मामले में सनरूप नगर पंचायत हरनौत के गठन के विरूद्ध दायर याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-9108/2017 विजय कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम राज्य के अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा नगर पंचायत गठन हेतु गैर कृषि जनसंख्या में शामिल अवयवों को स्पष्ट करने का आदेश दिया गया है । नगर निकाय क्षेत्र गठन के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अन्य राज्यों की इस संबंध में प्रावधानों का अध्ययन कर वर्तमान प्रावधानों के संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है । तदुपरान्त निर्धारित अर्हता के आलोक में विचरोपरान्त नगर पंचायत क्षेत्र घोषित किया जाना संभव हो सकेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, हम प्रस्ताव तो वापस लेते ही हैं ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-18/ज्योति/19-07-2019

क्रम संख्या 102 श्री मो0 आफाक आलम

श्री मो0 आफाक आलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के बंसार पंचायत के कोसी नदी के दादर घाट पर पुल का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल पी.एम.जी.एस.वाय. अंतर्गत जलालगढ़ प्रखंड के अधीन एन.एच. 57 एकम्बा से खाता पर अवस्थित है । कालान्तर एवं वर्ष 2017 में आयी भीषण बाढ़ से प्रश्नाधीन पुल के स्थल पर पूर्व से निर्मित ह्यूम पाईप क्षतिग्रस्त हो गया है उक्त स्थल पर 77.48 मीटर लम्बाई का उच्चस्तरीय पुल बनाने हेतु प्राक्कलन स्वीकृति की प्रक्रिया में है स्वीकृति के उपरांत पुल निर्माण कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री मो0 आफाक आलम : महोदय, मंत्री जी से आग्रह करते हैं । मैं अपना संकल्प तो वापस लेता हूँ लेकिन इसमें एक आदमी भी मर गया है ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या 103 श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन माननीय सदस्य को उन्होंने अधिकृत किया है । श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन ।

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गरीबी रेखा से नीचे के वृद्धजनों को मिल रही वृद्धावस्था पेंशन की राशि को महंगाई के मद्देनजर दोगुणा करे । ''

श्री राम सेवक सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गरीबी रेखा के नीचे वृद्धजनों के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 79 वर्ष आयु के वृद्ध जन को 400 रुपया प्रति माह एवं 80 या उससे अधिक आयु के वृद्धजन को 500 रुपया प्रति माह के दर से पेंशन दिया जा रहा है । 60 से 79 वर्ष आयु के वर्ग के वृद्धजन को भारत सरकार को मात्र 200 ही दिया जाता है । इस योजना में राज्य सरकार द्वारा 200 अंशदान दिया जा रहा है जिससे 400 रुपया प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है । इस योजना में 43 लाख 4 हजार 683 पेंशनधारियों को पेंशन दिया जा रहा है जिसमें भारत सरकार द्वारा 29 लाख 96 हजार 472 कैप निर्धारित है और निर्धारित कैप के लिए ही पेंशन की राशि राज्य सरकार को विमुक्त की जा रही है । कैप के अतिरिक्त 13 लाख 8 हजार 211 पेंशनधारियों की पूरी राशि 400 रुपया प्रति माह राज्य

सरकार द्वारा ही वहन किया जा रहा है । राज्य सरकार द्वारा इसमें अतिरिक्त अंशदान किया जा रहा है अतएव तत्काल राशि वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन : सभापति महोदय, राज्य सरकार का बजट बढ़ा है, दो लाख करोड़ से अधिक हुआ है और डब्ल इंजन की सरकार है और इसमें केन्द्र सरकार भी कुछ राशि बढ़ाये क्योंकि 5-7 साल के ही वे वृद्धजन मेहमान होते हैं इसलिए इसतरह के प्रस्ताव पर सरकार विचार करे । पाँच सौ रुपया से क्या होता है ? मंत्री जी जवाब दिए इसलिए इस आश्वासन पर कि सरकार पुनः विचार करेगी इसलिए अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या 107 श्री महबूब आलम-- माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रम संख्या 108 श्री मेवा लाल चौधरी

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह अधिकृत हैं ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर जिला के तारापुर प्रखंड के मुख्यालय तारापुर में ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर के कार्यालय भवन का निर्माण अविलम्ब करावे । ''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल खड़गपुर तारापुर का प्रमंडल कार्यालय तारापुर प्रखंड मुख्यालय में किराये के मकान में कार्यरत है, प्रमंडल कार्यालय निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी, मुंगेर से जमीन की अधियाचना की गयी है । जमीन स्थानान्तरण होने के उपरान्त अग्रतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, जमीन की रिपोर्ट आ गयी है, मंत्री जी के पास मैं अपना वापस लेता हूँ इस आश्वासन के साथ कि जल्दी से जल्दी भवन निर्माण करा दिया जायेगा ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रम संख्या 109 श्रीमती पूनम देवी यादव

श्रीमती पूनम देवी यादव : सभापति जी, मैं प्रस्तात करती हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि मानसी प्रखंड अंतर्गत खुटिया पंचायत के एकोनियाँ गांव में फुड मेगा पार्क से नवीन पासवान के घर तक अधूरा सड़क को शीघ्र पूर्ण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ परमानंदपुर ढाला के मानसी तक का अवशेष भाग है जिसकी मरम्मती हेतु प्राक्कलन ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत तैयार कराया जा रहा है तदोपरान्त अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगी।

श्रीमती पूनम देवी यादव : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या 110 श्री विनय बिहारी

श्री विनय बिहारी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत पुलिस जिला बगहा को महर्षि वाल्मिकीजी के नाम पर राजस्व जिला वाल्मिकीनगर शीघ्र बनवाने की कार्रवाई करे । ''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव , मंत्री : महोदय, राज्य में जिला अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुनगर्ठन हेतु मंत्रियों के समूह का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया हे साथ ही मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु सचिवों की समिति गठित है । सचिवों की समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाई के पुनगर्ठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है । प्रस्ताव भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है । पश्चिम चंपारण

जिलान्तर्गत पुलिस जिला बगहा को वाल्मिकीनगर राजस्व जिला बनाये जाने के संबंध में उक्त विहित रीति से कोई प्रस्ताव नहीं है अतः अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपने संकल्प को वापस ले लें ।

श्री विनय बिहारी : सभापति महोदय, वापस लेता हूं । 24 साल पहले पुलिस जिला बनाया गया। बिहार का सबसे बड़ा जिला है ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या 111 श्री डा0 अब्दुल गफूर</u>

श्री डा0 अब्दुल गफूर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के अल्पसंख्यक छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में हो रही आवासीय असुविधा को देखते हुए अल्पसंख्यक छात्रावास की तरह अल्पसंख्यक गर्ल्स छात्रावास का निर्माण करावे । ''

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज आलम, मंत्री : महोदय, राज्य सरकार द्वारा राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के चहुंमुखी विकास हेतु संकल्पित है । इसी क्रम में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में एक बालिका अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण की योजना संचालित है वर्तमान में विभिन्न जिला मुख्यालयें में कुल 28 बालक छात्रावास एवं 9 बालिका छात्रावास निर्मित है, साथ ही 14 छात्रावास निर्माणाधीन है, शेष अल्पसंख्यक छात्रावासों के निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी को भूमि की खोज हेतु पत्र लिखा गया है । स्थल उपलब्ध होते ही छात्रावास निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पूर्व में एम.एस.डी.पी. के अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहूल्य क्षेत्रों में 35 बालिका छात्रावास निर्माण की स्वीकृति दी गयी है जिसमें से 18 बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा 12 निर्माणाधीन है हम चाहेंगे कि माननीय सदस्य से कि अपना प्रस्ताव वापस लेने का कष्ट करेंगे ।

श्री डा0 अब्दुल गफूर : महोदय, मैं माननीय मंत्री के जवाब से संतुष्ट होकर मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपना आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या 112 श्री मदन मोहन तिवारी

श्री मदन मोहन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प0 चम्पारण जिलान्तर्गत मीना बाजार बेतिया के मध्य में राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा स्थापित करावे । ''

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पश्चिम चम्पारण बेतिया में स्थिति मीनाबाजार के आस पास निम्न बैंक कार्यरत हैं :

क्रमशः

टर्न-19/19.07.2019/बिपिन

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्रीः क्रमशः ... केनरा बैंक 50 मीटर की दूरी पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 300 मीटर की दूरी पर, सेंट्रल बैंक औफ इंडिया 300 मीटर की दूरी पर, पंजाब नेशनल बैंक 300 मीटर की दूरी पर, बैंक ऑफ बड़ौदा 500 मीटर की दूरी पर, आंध्र बैंक 600 मीटर की दूरी पर । उक्त शाखाओं के माध्यम से मीना बाजार के निवासियों और व्यापारियों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो रही है । मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री मदन मोहन तिवारीः मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-113 श्री शमीम अहमद, स.वि.स.

अध्यक्ष : श्री समीर कुमार महासेठ अधिकृत हैं । वे इस संकल्प को पढ़ें ।

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के छौड़ादानों प्रखंड एवं वनकटवा प्रखंड को जोड़ने वाली तीयर नदी पर बना सेवा पथ एवं पुल जर्जर हो चुकी है, के बदले समानान्तर नया आर.सी.सी. पुल, पथ एवं सुलीश गेट का निर्माण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण हेतु चेकलिस्ट प्राप्त कर लिया गया है जिसकी तकनीकी समीक्षा की जा रही है । सुलीश गेट का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा नहीं किया जाता है । पुल स्थल पी.एम.जी.एस.वाई. योजना

से निर्मित टी-1 पी.डब्लू.डी. रोड से बैजनाथपुर के आरेखन पर पड़ता है जिसका पंचवर्षीय अनुरक्षण अभी समाप्त हो चुका है । इस पथ के मरम्मती हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के तहत डी.पी.आर. तैयार कर लिया गया है । स्वीकृति उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : मैं संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या-114 श्री राजेश कुमार, स.वि.स.</u>

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा विधान सभा क्षेत्र के कुटुम्बा और अम्बा के आबादी को समंजित कर नगर पंचायत का गठन करावें ।''

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्रीः महोदय, इस संबंध में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है । जिला पदाधिकारी द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि कुटुम्बा प्रखंड के ग्राम पंचायत अम्बा एवं पंचायत कुटुम्बा की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 12114 एवं 13053 है । उल्लेखनीय है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 3(ग) में यह प्रावधान है कि छोटे शहर अर्थात् नगर पंचायत की दशा में उस क्षेत्र की जनसंख्या 12000 और उससे किन्तु 40000 से कम होगी । परंतु यह भी प्रावधान है कि उक्त क्षेत्र में गैर-कृषि कुल जनसंख्या का 75 प्रतिशत या उससे अधिक होगी । इस मामले में समरूप नगर पंचायत हरनौत के गठन के विरूद्ध दायर याचिका सी.डब्लू.जे.सी. संख्या-9108/2017 विजय कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा नगर पंचायत गठन हेतु गैर-कृषि जनसंख्या में शामिल अव्यवों को स्पष्ट करने का आदेश दिया गया है । नगर निकाय क्षेत्र में गठन के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अन्य राज्यों की इस संबंध में प्रावधानों का अध्ययन कर वर्तमान प्रावधानों के संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है । तदुपरान्त निर्धारित अर्हता पूर्ण करने के उपरान्त ही नगर पंचायत क्षेत्र को गठित किए जाने पर विचार करना संभव हो सकेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री राजेश कुमार : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या–115 श्री नरेन्द्र कुमार नीरज, स.वि.स.

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज:अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के गंगोता जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की कार्रवाई करे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, तथ्य है कि दिनांक 08.08.2016 को गंगोता जाति से संबंधित मामले को लोकसभा में उठाए जाने के आलोक में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 6916 द्वारा राज्य सरकार कुछ जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा की मांग की गई । तदनुसार सरकार के अनुमोदनोपरांत गंगोता जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु इथनोग्राफिक रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया । सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 1720 दिनांक 14.2.2017 द्वारा अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना से एतद संबंधी इथनोग्राफिक रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया गया । अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना के पत्रांक ए.एन.एस.आर.ई.एन.–39/2019 दिनांक 19.6. 2019 द्वारा गंगोता जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए इथनोग्राफिक रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग में उपलब्ध कराई गई है । इथनोग्राफिक रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है । समीक्षोपरांत गंगोता जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या–116 श्री प्रभुनाथ प्रसाद, स.वि.स.

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के चरपोखरी प्रखंड अंतर्गत तेतरिया ग्राम के पास बनास नदी पर पुल का निर्माण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल आर.इ.ओ. रोड से तेतरिया पथ जो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत चयनित है, के आरेखन पर इसका डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है । तदनानुसार पथ के साथ पुल का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा ।

वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या-106 श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, स.वि.स.</u>

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0-2342 दिनांक 15.02.2016 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए दिये गये 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आरक्षित वर्ग की महिला की तर्ज पर गैर आरक्षित वर्ग की महिला आरक्षण की रिक्तियों को भी बिहार राज्य की महिलाओं तक सीमित करने का प्रावधान करे ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, बिहार विभाजन के उपरांत बिहार अधिनियम 17(2)(2) के द्वारा राज्याधीन सेवा में विभिन्न आरक्षित वगों को उर्ध्वा वर्टिकल आरक्षण अनुमान्य कराया गया । यह आरक्षण राज्य के मूल निवासियों को अनुमान्य कराया गया है । सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 10.5.2016 द्वारा राज्याधीन सेवा में महिला के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है । यह आरक्षण उर्ध्वाकार वर्टिकल आरक्षण के अंतर्गत राज्य की आरक्षित वर्ग की महिलाओं को ही देय है परंतु खुली गुणानुगुण कोटि के रिक्तियों के विरूद्ध राज्य के बाहर के महिलाओं की भी नियुक्ति प्राप्त कर सकती है । इसे राज्य की महिलाओं तक सीमित रखने का कोई प्रस्ताव संप्रति विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

अध्यक्ष : संकल्प संख्या-06 जो शिक्षा विभाग से संबंधित है, श्री अचमित ऋषिदेव जी का, वह पढ़ा हुआ है । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

क्रम संख्या–06 श्री अचमित ऋषिदेव, स.वि.स.

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार के वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय है जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । रानीगंज प्रखंड, अररिया जिला के अररिया अनुमंडल के क्षेत्रान्तर्गत जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय के रूप में अररिया कॉलेज, अररिया संचालित है । जिन प्रखंडों में कोई भी महाविद्यालय संचालित नहीं है वहां नालन्दा खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से अध्ययन केंद्र की स्थापना की जा रही है । अतः सम्प्रति रानीगंज प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न : 20/कृष्ण/19.07.2019

क्रमांक–72 श्री मुद्रिका प्रसाद राय,स0वि0स0

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुद्रिका प्रसाद राय का संकल्प प्रस्तुत है । माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का राज्य में अपने स्तर से नयी चीनी मिल स्थापित करने की कोई कार्य योजना नहीं है । राज्य के गन्ना उत्पादक, किसानों एवं मजदूरों के हित में राज्य में निजी सार्वजनिक सहकारिता क्षेत्र में मिलों एवं गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है । इस हेतु प्रोत्साहन पैकेज, 2006 की घोषणा की गयी थी । इससे औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज के तर्ज पर निवेश हेतु आकर्षक एवं प्रभावकारी बनाने हेतु प्रोत्साहन पैकेज, 2014 की घोषणा की गयी है । सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड स्थित रामकोला कृषि फार्म में नयी चीनी मिल स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव किसी भी निवेशक से प्राप्त होगा तो विभागीय प्रोत्साहन पैकेज, 2014 के वैधिक प्रावधानों के अन्तर्गत सभी प्रकार की अपेक्षित सहयोग प्रदान की जायेगी । महोदय, माननीय सदस्य से अलग से कुछ सूचनायें दी है, इसे विभाग ग्रहण करेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मुद्रिका प्रसाद राय : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही चीज कहना है कि यदि प्रस्ताव आये तो चीनी मिल स्थापित किया जाये । लेकिन वहां पर 260 एकड़ जमीन है, जिसपर भू-माफिया और दबंगों की नजर है और कब्जा भी कर रहे हैं । कम से कम उसको अधिगृहित किया जाये, उसको संरक्षित किया जाय । हम इतना ही कहकर अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सभा की सहमति से माननीय सदस्य श्री मुद्रिका प्रसाद राय जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

और किसी माननीय सदस्य, जिनका संकल्प बच गया है ? नहीं ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 19 जुलाई, 2019 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 44 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सभा की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

....